



तिथि : 05 फरवरी 2025

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ – (a) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर (b) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय और (c) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के राँची में किराए पर लिए गए फ्लैटों में

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा प्रक्रिया केवल एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eproc>) के माध्यम से संचालित की जाएगी। रुचि रखने वाले सभी बोलीकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड से स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। जिस कार्य के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं, उसके प्रमुख विवरण और बोलीकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं:

क्रम	मद	विवरण
1.	कार्य का नाम	बैंक के राँची में स्थित विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ – (a) मुख्य कार्यालय परिसर (b) ओम्बड्समैन कार्यालय परिसर और (c) राँची में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट
2.	NIT संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक/राँची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा विभाग/2/24-25/ईटी/873[भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करना]
3.	निविदा का माध्यम	ई-खरीद प्रणाली (ई-निविदा) ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली (https://www.mstcecommerce.com/eproc) के माध्यम से
4.	कुल वार्षिक अनुमानित लागत	₹ 9,00,000/- प्रति वर्ष (जीएसटी सहित)
5.	निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) की उपलब्ध तिथि	05 फरवरी, 2025 से 11:00 बजे से
6.	प्री-बोली मीटिंग तिथि	11 फरवरी, 2025 को 11:00 बजे से (ऑफ़लाइन)
7.	स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, 1ली मंजिल, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) - 834001	
8.	बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी, 2025, 13:00 बजे से पहले
9.	ई-निविदा बोली आरंभ की तिथि	14 फरवरी, 2025 को 12:00 बजे से
10.	योग्यता मापदंड दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी, 2025, 13:00 बजे से पहले



11.	ई-निविदा के लिए तकनीकी बोली (भाग I और भाग II) जमा करने की समाप्ति तिथि	27 फरवरी, 2025 को 13:00 बजे
12.	तकनीकी बोली (भाग I) के खुलने की तिथि और समय	27 फरवरी, 2025 को 14:00 बजे
13.	वित्तीय बोली (भाग II) खोलने की तिथि और समय	योग्य बोलीकर्ताओं/ओं को सूचित किया जाएगा
14.	बयाना राशि (EMD)	₹ 18,000/- (केवल अट्टारह हजार रुपये) केवल NEFT के माध्यम से NEFT का विवरण: - लाभार्थी नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची; IFSC: RBISORNPA01 (बाएँ से 5वें और 10वें स्थान पर अंकित शून्य); खाता संख्या - 186003001। सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) जिनके पास उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार संख्या) है, उन्हें बोली लगाने के समय बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। बयाना राशि के बिना या स्वीकार्य प्रमाण के बिना बयाना राशि छूट का दावा करने वाले ई-निविदा आवेदन को अप्रासंगिक माना जाएगा और बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
15.	लेन-देन शुल्क	लेन-देन शुल्क, एमएसटीसी पेमेंट गेटवे / एनईएफ़टी के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में, अथवा मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, देय होगा।

2. पूर्ण विवरण के लिए कृपया निविदा दस्तावेज़ देखें। यदि कोई अतिरिक्त सुधार / अतिरिक्त जानकारी हो, तो यह भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx पर 'Tenders' लिंक और <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी एक या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
राँची क्षेत्रीय कार्यालय



भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ - (a) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर (b) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय और (c) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के राँची में किराए पर लिए गए फ्लैट

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (केवल ई-क्रय के माध्यम से)

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा - (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट। भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ संभालने हेतु प्रतिष्ठित एजेंसियों/कंपनियों/फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय बोली के अंतर्गत द्वि-बोली प्रणाली के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। प्रारंभिक अनुबंध अप्रैल 01, 2025 से मार्च 31, 2026 तक वैध रहेगा, जिसे बैंक द्वारा समीक्षा के आधार पर दो वर्षों तक (एक वर्ष की अवधि में) विस्तारित किया जा सकता है।

ई-निविदा प्रक्रिया MSTC लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> के माध्यम से संपन्न होगी। रुचि अभिव्यक्त करने वाली सभी कंपनियाँ/फर्मों/एजेंसियाँ ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उक्त वेबसाइट पर MSTC लिमिटेड के साथ पंजीकरण कराएँ। निविदाकर्ता को ई-निविदा संबंधी निर्देशों के अनुसार, निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को संतुष्ट करने हेतु समर्थक दस्तावेज़ों सहित अपना प्रस्ताव 27 फरवरी, 2025 को दोपहर 1 बजे से पूर्व पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त पात्रता मानदंड पूरे नहीं होते, तो निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

निविदाकर्ता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ₹18,000/- (अठारह हजार रुपये मात्र) की अप्रतिदेय बयाना राशि (EMD) सहित पूर्ण ई-निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक अपनी स्वेच्छा से या संभावित निविदाकर्ता द्वारा माँगी गई स्पष्टीकरण के उत्तर में, निविदा दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। ऐसा संशोधन केवल बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx तथा MSTC लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर अधिसूचित किया जाएगा और संभावित निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। संशोधनों को ध्यान में रखते हुए

बोली तैयार करने के लिए उचित समय उपलब्ध कराने हेतु, बैंक अपनी विवेकानुसार निविदा प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है। निविदाकर्ता को ई-निविदा संबंधी किसी भी संशोधन/सुधार/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट/MSTC पोर्टल की जाँच करनी चाहिए। ई-निविदा प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि के पश्चात ई-निविदा संशोधित नहीं किया जायेगा। निविदा प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि एवं ई-निविदा वैधता अवधि के बीच के समयावधि में ई-निविदा वापस नहीं लिया जा सकता; ऐसा करने पर निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

ई-निविदा का भाग-I (तकनीकी बोली) 27 फरवरी, 2025 को दोपहर 2 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। केवल उन बोलीदाताओं के भाग-II (कीमत बोली) को खोला जाएगा जिनका भाग-I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार्य पाया जाएगा। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II बोली खोलने की तिथि उनके द्वारा सत्यापित ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

यदि भाग-I एवं भाग-II बोली खोलने की तिथि अवकाश दिवस पड़ती है, तो वह अगले कार्यदिवस को दोपहर 2 बजे खोली जाएगी। बैंक को न्यूनतम ई-निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है तथा वह किसी भी ई-निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। ई-निविदा दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट लिंक https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx पर भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
राँची

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुचि रखने वाले पक्षों को इस कार्य से संबंधित पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने हेतु इस दस्तावेज़ की तैयारी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित सूचना की तैयारी में आवश्यक सावधानी बरती है तथा यह मानता है कि यह सही है, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी, उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित सूचना की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व, स्पष्ट या अस्पष्ट, नहीं दिया गया है।

यह सूचना संपूर्ण होने के लिए तैयार नहीं की गई है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी स्वयं की जांच करनी आवश्यक है। निविदाकर्ताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है तथा निविदा प्रस्तुत करते समय वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर निर्भर नहीं हैं। यह सूचना इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस कार्य को आगे न बढ़ाए या इसके विन्यास में परिवर्तन करे, इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए समय सारणी को संशोधित करे या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करे। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार रखता है कि रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करे। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

परिशिष्ट

क्रम	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	ई-निविदा की अनुसूची	5-6
2.	भाग-I : खंड-I, ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश	7-11
3.	भाग-I : खंड-II, निविदा का प्रारूप	12-13
4.	भाग-I : खंड-III, पूर्व-अर्हता पात्रता मानदंड	14-21
5.	भाग-I : खंड-IV, कार्य का दायरा, नियम एवं शर्तें	22-37
6.	भाग-I : खंड-V, तकनीकी-वाणिज्यिक विवरण	38-40
7.	परिशिष्ट-I : ग्राहकों की सूची / पूर्व अनुभव का विवरण देने हेतु प्रपत्र	41
8.	परिशिष्ट-II	42
9.	परिशिष्ट-III	43
10.	परिशिष्ट-IV : वचनपत्र / घोषणा का प्रारूप	44
11.	परिशिष्ट-V : प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप	45-47
12.	परिशिष्ट-VI : समझौते के अनुच्छेद	48-56
13.	भाग-II : वित्तीय बोली	57

-निविदा की अनुसूची

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ – (a) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर (b) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय और (c) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के राँची में किराए पर लिए गए फ्लैट

क्रम	मद	विवरण
1.	कार्य का नाम	बैंक के राँची में स्थित विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ – (a) मुख्य कार्यालय परिसर (b) ओम्बड्समैन कार्यालय परिसर और (c) राँची में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट
2.	NIT संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक/राँची क्षेत्रीय कार्यालय/भूमि विभाग/2/24-25/ईटी/873[भारतीय रिज़र्व बैंक राँची के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करना]
3.	निविदा का माध्यम	ई-खरीद प्रणाली (ई-निविदा) ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से
4.	कुल वार्षिक अनुमानित लागत	₹ 9,00,000/- प्रति वर्ष (जीएसटी सहित)
5.	निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) की उपलब्ध तिथि	05 फरवरी, 2025 से 11:00 बजे से
6.	प्री-बोली मीटिंग तिथि	11 फरवरी, 2025 को 11:00 बजे से (ऑफ़लाइन)
7.	स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) - 834001	
8.	बयाना राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी, 2025, 13:00 बजे से पहले
9.	ई-निविदा बोली आरंभ की तिथि	14 फरवरी, 2025 को 12:00 बजे से
10.	योग्यता मापदंड दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी, 2025, 13:00 बजे से पहले

11.	ई-निविदा के लिए तकनीकी बोली (भाग I और भाग II) जमा करने की समाप्ति तिथि	27 फरवरी, 2025 को 13:00 बजे
12.	तकनीकी बोली (भाग I) के खुलने की तिथि और समय	27 फरवरी, 2025 को 14:00 बजे
13.	वित्तीय बोली (भाग II) खोलने की तिथि और समय	योग्य बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा
14.	बयाना राशि (EMD)	<p>₹ 18,000/- (केवल अट्टारह हजार रुपये) केवल NEFT के माध्यम से</p> <p>NEFT का विवरण: - लाभार्थी नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची; IFSC: RBISORNPA01 (बाएँ से 5वें और 10वें स्थान पर अंकित शून्य); खाता संख्या - 186003001। सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) जिनके पास उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार स्मारक संख्या) है, उन्हें बोली लगाने के समय बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। बयाना राशि के बिना या स्वीकार्य प्रमाण के बिना बयाना राशि छूट का दावा करने वाले ई-निविदा आवेदन को अप्रासंगिक माना जाएगा और बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
15.	लेन-देन शुल्क	लेन-देन शुल्क, एमएसटीसी पेमेंट गेटवे / एनईएफ़टी के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में, अथवा मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, देय होगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक के राँची स्थित विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा

A) पंजीकरण:

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची की ई-खरीद प्रक्रिया है। ई-खरीद सेवा प्रदाता MSTC लिमिटेड है। कृपया ऑनलाइन निविदा जमा करने से पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना एवं आवश्यक संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- विक्रेता पंजीकरण MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से निःशुल्क किया जा सकता है। केवल पंजीकरण के पश्चात् ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक बोली जमा कर सकेंगे।
- भाग I – तकनीकी बोली एवं भाग II – वित्तीय बोली का इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जमा किया जाएगा।
- विक्रेता के पास क्लास III प्रकार डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
- विक्रेता अपनी इंटरनेट-संबद्ध कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे। MSTC/भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची इसकी व्यवस्था नहीं करेगा। (डिजिटल सिग्नेचर के बिना बोलियाँ रिकॉर्ड नहीं की जाएँगी)

नोट:

1. तकनीकी एवं वित्तीय बोली केवल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर ऑनलाइन जमा की जाएगी।
2. विक्रेता को www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU/Govt. Depts → आरबीआई पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
 - "Register as Vendअथवा" का चयन करके विवरण भरें।
 - अपना उपयोगकर्ता ID एवं पासवर्ड बनाएँ।
3. पंजीकरण के पश्चात् विक्रेता को पंजीकरण फॉर्म में दिए गए ईमेल पर स्वचालित संदेश प्राप्त होगा।
4. किसी भी स्पष्टीकरण हेतु MSTC/भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची से संपर्क करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची से संपर्क करने हेतु व्यक्ति:
 - क) श्री अभिषेक कुमार भदानी
ईमेल: estateranchi@rbi.org.in | मोबाइल: 8873107080
 - ख) श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव
ईमेल: estateranchi@rbi.org.in | मोबाइल: 9905130459MSTC लिमिटेड से संपर्क करने हेतु व्यक्ति:

- क) श्री प्रीतम बिश्वास
ईमेल: pbiswas@mstcindia.co.in | मोबाइल: 9903248755
- ख) सुश्री श्रुति सचान
ईमेल: ssachan@mstcindia.co.in | मोबाइल: 9532310097

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

1. ऑपरेटिंग सिस्टम: Windows XP-SP3 एवं उच्चतर / Windows 7
 2. वेब ब्राउज़र: IE-7 एवं उच्चतर
 3. अन्य आवश्यकताएँ:
 - क्लास III प्रकार डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट
 - JRE 7 अपडेट 9 एवं उच्चतर सॉफ्टवेयर
 - डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाई देने हेतु सेटिंग्स:
 - Tools → Internet Options → Security → "Enable Protected Mode" को अनचेक करें
 - Tools → Internet Options → General → Settings → "TempअथवाTemporary Internet Files" → "Every time I visit the webpage" चुनें
 - Tools → Internet Options → Custom Level → सभी Active X कंट्रोलस सक्षम करें एवं "pop up blocker" अक्षम करें
- अधिक जानकारी हेतु:**
- विक्रेता मार्गदर्शिका एवं FAQ देखें: <https://www.mstcecommerce.com/eprocn>

A) ई-निविदा की प्रक्रिया:

1. तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली को <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर **ऑनलाइन** प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदाएँ, निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से** खोली जाएँगी।
2. निविदा में की जाने वाली सभी प्रविष्टियाँ ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट रूप से दर्ज की जानी चाहिए।
3. **लेन-देन शुल्क से संबंधित विशेष टिप्पणी:**
विक्रेताओं को अपने लॉग-इन में "My Menu" के अंतर्गत उपलब्ध "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करते हुए लेन-देन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉप-डाउन बॉक्स से संबंधित निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता को एनईएफ़टी के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

विक्रेता को चालान पर मुद्रित विवरणों के अनुसार, बिना किसी परिवर्तन के, लेन-देन शुल्क की राशि प्रेषित करनी होगी। जैसे ही भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है,

लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा तथा विक्रेता को प्रणाली द्वारा स्वतः उत्पन्न ई-मेल प्राप्त होगा।

लेन-देन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना किसी भी विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. निविदा की अंतिम रूप से स्वीकृति तक की प्रक्रिया के दौरान, अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र से संबंधित जानकारी **केवल ई-मेल के माध्यम से** प्रेषित की जाएगी। अतः विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि **एमएसटीसी के साथ पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध एवं अद्यतन** हो। साथ ही, विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने **डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)** की वैधता सुनिश्चित कर लें।
5. ई-निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) में उल्लिखित **निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय** के पश्चात **ई-निविदा तक पहुँच संभव नहीं होगी**।
6. ई निविदा में बोली: -
 - a. ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने हेतु विक्रेता/विक्रेताओं को आवश्यक बयाना राशि (EMD) तथा लेन-देन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना अनिवार्य होगा। लेन-देन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल विक्रेता/विक्रेताओं की ईएमडी राशि निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में **तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली** प्रस्तुत करने हेतु **इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रणाली** सम्मिलित है।
 - b. जिन विक्रेता/विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा कर दिया है, वे अपनी **तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली केवल इंटरनेट के माध्यम से** एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU/Govt. Depts → आरबीआई के अंतर्गत Login → My Menu → Auction Floअथवा Manager → Live Event → संबंधित Live Event का चयन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
 - c. विक्रेता को **JAVA एप्लिकेशन के संचालन की अनुमति** देनी होगी। यह प्रक्रिया **बोली फ़्लोर खुलने के तुरंत बाद** की जानी आवश्यक है। इसके पश्चात विक्रेता को **Common Terms / Commercial Specification** भरकर उसे सहेजना होगा। उसके बाद **तकनीकी बोली** पर क्लिक करना होगा। यदि यह एप्लिकेशन संचालित नहीं होता है, तो विक्रेता अपनी **तकनीकी बोली को सहेजने अथवा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा**।

- d. विक्रेता को JAVA एप्लिकेशन के संचालन की अनुमति देनी होगी। यह प्रक्रिया बोली फ़्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी आवश्यक है। इसके पश्चात विक्रेता को सामान्य शर्तों/ वाणिज्यिक विनिर्देश भरकर उसे सहेजना होगा। इसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करना होगा। यदि यह एप्लिकेशन संचालित नहीं होता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने अथवा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा।
- e. तकनीकी बोली भरने के पश्चात, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली को दर्ज करने हेतु 'Save' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वित्तीय बोली का लिंक सक्रिय हो जाएगा, जिसे भरने के उपरांत विक्रेता को 'Save' पर क्लिक कर अपनी वित्तीय बोली दर्ज करनी होगी। तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली, दोनों के सहेजे जाने के पश्चात, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने हेतु 'Final Submission' बटन पर क्लिक कर सकता है।
- f. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु 'Attach Doc' बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- g. सभी परिस्थितियों में, विक्रेता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने स्वयं के यूज़र आईडी एवं पासवर्ड, तथा डिजिटल सिग्नेचर (डिजिटल हस्ताक्षर) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- h. संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, सभी विक्रेता एक-दूसरे के प्रति तथा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।
- i. ई-निविदा फ़्लोर, पूर्व-घोषित तिथि एवं समय से प्रारंभ होकर, उपर्युक्त उल्लेखित अवधि तक खुला रहेगा।
- j. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर विधिक रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को संबंधित विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा तथा बैंक द्वारा उसकी स्वीकृति किए जाने पर, बैंक एवं विक्रेता के बीच आपूर्ति/कार्यान्वयन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन होगा।
- k. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही प्रस्तुत की जाएँ; अन्यथा प्रणाली द्वारा ऐसी बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- l. बैंक, बिना कोई कारण बताए, परिस्थितियों के अनुसार निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने अथवा उसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- m. निविदा दस्तावेज़ की शर्तों एवं नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। ई-

निविदा फ़्लोर पर किसी भी विक्रेता द्वारा बोली प्रस्तुत किया जाना, निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति की पुष्टि माना जाएगा।

7. इस निविदा के परिणामस्वरूप जारी किया जाने वाला कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

8. तकनीकी एवं वित्तीय नियमों एवं शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

9. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पूर्व प्रणाली से भली-भाँति परिचित होने हेतु विक्रेता मार्गदर्शिका का अध्ययन करें तथा <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पृष्ठ पर उपलब्ध वीडियो देखें।

निविदा प्रपत्र

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के प्लैट

1. प्रस्ताव:

उपरोक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों एवं मात्राओं की अनुसूची का अध्ययन करने, कार्य स्थल का निरीक्षण करने तथा संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, मैं/हम यहाँ आवेदन करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची की विभिन्न संपत्तियों हेतु एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट विस्तृत कार्य क्षेत्र एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर स्वीकार करेंगे।

2. शर्तों का पालन:

यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहाँ स्वीकार करते हैं कि निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे तथा अनुपालन न करने की स्थिति में बैंक द्वारा निर्दिष्ट राशि जुर्माना देने एवं भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

3. निविदा की वैधता:

मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि निविदा निविदा (भाग-I) खोलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार करने हेतु वैध रहेगी। यह अवधि बैंक एवं हमारे मध्य लिखित सहमति से विस्तारित की जा सकती है। भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए आवश्यक बयाना राशि (EMD) एवं सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने का भी हम स्वीकार करते हैं।

4. निविदा दस्तावेज़ की शर्तें:

मैं/हम ई-निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

5. शर्तों की समझ:

इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, मैं/हमने दस्तावेज़ में निहित सभी शर्तों, विस्तृत कार्य क्षेत्र एवं निर्देशों को पढ़कर पूर्णतः समझ लिया है तथा इनका पालन करने का प्रतिज्ञापत्र देते हैं।

6. कानूनी प्रावधानों का पालन:

मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रमिक अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, अवकाश, रिलीविंग चार्ज, वर्दी एवं भत्तों सहित समय-समय पर लागू सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने का प्रतिज्ञापत्र देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान करेंगे तथा किसी भी उल्लंघन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. क्षतिपूर्ति शपथ:

मैं/हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक को होने वाली किसी भी क्षति या नोटिस से संबंधित सभी दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेंगे।

8. बैंक का अधिकार:

मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है।

दिनांक: दिनांक 2025

पक्ष: की ओर से एवं हेतु

(हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

पता:

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति, जहाँ लागू हो, संलग्न करें)

साक्षी:

(1) हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

दिनांक:

(2) हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

दिनांक:

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट

राँची स्थित बैंक की निम्नलिखित संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा

- आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर
- आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय
- राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट

- पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंड** : a. आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर, b. आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय तथा राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैटों के लिए **एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ** प्रदान करने हेतु **प्रतिष्ठित एजेंसियों/कंपनियों/फर्मों** से **दो-बोली प्रणाली(भाग-I : तकनीकी बोली तथा भाग-II : वित्तीय बोली)** के अंतर्गत ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इस निविदा के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुबंध प्रारंभ में **01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026** की अवधि के लिए होगा। सेवा प्रदाता/प्रदाताओं के **संतोषजनक प्रदर्शन** के आधार पर तथा बैंक के **एकमात्र विवेकाधिकार** पर, बैंक द्वारा की गई समीक्षा के उपरांत, इस अनुबंध को **आपसी सहमति से, एक वर्ष की अवधि में, अधिकतम दो वर्ष तक** आगे बढ़ाया जा सकता है।

नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के समर्थन में **दस्तावेज़ी प्रमाण/घोषणा** प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा न किए जाने की स्थिति में **बोली अस्वीकृत की जाएगी**।

(i)	<p>पूर्व अनुभव की अवधि: फर्म के पास आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले माह के ठीक पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन तक, अर्थात् 31 जनवरी 2025 तक, समान प्रकृति के कार्यों के निष्पादन का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।</p> <p>आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान अपने द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण दर्शाते हुए अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। उक्त सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।</p> <p>आवेदक को न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p>
-----	---

(ii)	<p>निविदाकर्ता को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व ग्राहकों की सूची अपलोड/प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, उन कंपनियों के संदर्भ भी उपलब्ध कराने होंगे, जहाँ वर्तमान में उनकी ज़िम्मेदारी समान प्रकृति के कार्यों से संबंधित है, तथा एजेंसी/ठेकेदार के प्रदर्शन से संबंधित ग्राहकों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।</p> <p>निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्रों की पुष्टि/संतोष के लिए, बैंक को उक्त ग्राहकों में से किसी से भी संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।</p>
(iii)	<p>प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य (पात्रता हेतु): आवेदक के पास आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले माह के ठीक पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन तक, अर्थात् 31 जनवरी 2025 तक, पिछले 5 वर्षों के दौरान समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए, जो निम्नलिखित में से किसी एक के अनुरूप हो:</p> <p>तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत के 40% के बराबर या उससे अधिक हो, अर्थात् ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हज़ार रुपये मात्र)। अथवा</p> <p>दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे अधिक हो, अर्थात् ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हज़ार रुपये मात्र)। अथवा</p>

	<p>एक समान कार्य, जिसका मूल्य अनुमानित लागत के 80% के बराबर या उससे अधिक हो, अर्थात् ₹ 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रुपये मात्र)। उपर्युक्त के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न किए जाने की स्थिति में, बैंक के विवेकाधिकार पर, बिना कोई अतिरिक्त कारण बताए ई-निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।</p> <p>निविदाकर्ता को अनुबंध-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण-पत्र भी अपलोड/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p>
(iv)	<p>निविदाकर्ता का पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में से प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर ₹ 9.00 लाख (नौ लाख रुपये मात्र) होना अनिवार्य है।</p> <p>निविदाकर्ता को इस पैरा में उल्लिखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड/प्रस्तुत करनी होगी।</p>
(v)	<p>निविदाकर्ता को पिछले तीन (03) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के आयकर रिटर्न अपलोड/प्रस्तुत करने होंगे।</p>
(vi)	<p>निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता एवं सॉल्वेंसी दर्शाने हेतु, निविदाकर्ता के बैंक द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी किया गया बैंकर प्रमाण-पत्र, जो अनुबंध-III (Annexure-III) में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार हो तथा जिसकी राशि अनुमानित लागत ₹ 9,00,000/- (नौ लाख रुपये मात्र) के समतुल्य हो, अपलोड/प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।</p>
(vii)	<p>कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूर्ण एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन, तथा सभी निदेशकों एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विवरण सहित अन्य संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने होंगे। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी अनुबंध, पावर ऑफ़ अटॉर्नी (यदि कोई हो) तथा फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। एजेंसी अथवा एकल स्वामित्व के मामले में, संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, उनके नाम एवं पते आदि सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p>

(viii)	निविदाकर्ता का झारखंड राज्य में पंजीकृत / कॉर्पोरेट / शाखा / क्षेत्रीय / ज़ोनल कार्यालय होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
(ix)	निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
(x)	निविदाकर्ता के पास वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
(xi)	निविदाकर्ता के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
(xii)	निविदाकर्ता के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC/ESI) का वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
(xiii)	निविदाकर्ता को ₹ 18,000/- (अठारह हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, जिनके पास उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार...
	उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार मेमोरेंडम संख्या) रखने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को बोली के समय बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी। ईएमडी के बिना प्रस्तुत की गई ई-निविदा, अथवा ईएमडी से छूट का दावा स्वीकार्य प्रमाण के बिना किया गया हो, ऐसी ई-निविदा को मूल्यांकन हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा।

1. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व वे पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंडों को पूर्ण रूप से पूरा करते हों। साथ ही, ई-निविदा के साथ सभी संबंधित विवरण/जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंडों को पूर्ण न करने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएँगी।
2. बोलियों के संबंध में बैंक का मत/निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकता है।
3. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपूर्ण ई-निविदा प्रपत्रों को, अथवा ऐसी बोलियों को अस्वीकार कर दे जिनमें किसी स्थान पर निविदा रिक्त छोड़ी गई हो या जिनमें दी गई जानकारी भ्रामक पाई जाए।

4. मूल्यांकन मानदंड

निविदा के भाग-I : तकनीकी बोली को उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर खोला एवं मूल्यांकित किया जाएगा। बैंक, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी बोलियों की जाँच एवं मूल्यांकन करेगा। केवल वे बोलीदाता, जो पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें वित्तीय मूल्यांकन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अर्थात् उनकी निविदा के भाग-II : वित्तीय बोली को खोला जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा इस विषय में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड/प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है; ऐसा न किए जाने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। निविदा की मूल्य बोली का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत 'कार्य की कुल लागत' के आधार पर किया जाएगा। जो बोलीदाता कार्य की न्यूनतम कुल लागत उद्धृत करेगा, उसे न्यूनतम (L1) बोलीदाता माना जाएगा और उसे कार्य आवंटित किया जाएगा।

नोट: निविदाकर्ताओं को अपनी दरें उद्धृत करते समय न्यूनतम मज़दूरी, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, अवकाश राहत आदि जैसे वैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखना होगा।

यदि किसी निविदा में किसी मद/मदों की इकाई दर असामान्य रूप से कम या अधिक प्रतीत होती है, तो ऐसी निविदा को असंतुलित माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि निविदाकर्ता संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी निविदा अयोग्य घोषित कर अस्वीकार की जा सकती है।

5. उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार संख्या) रखने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को बोली के समय ईएमडी जमा करने से छूट प्रदान की जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता कार्य प्रारंभ करने से इंकार करता है अथवा अनुबंध करने से मना करता है, या सुरक्षा जमा/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा असफल बोलीदाताओं को अनुबंध के अंतिम आवंटन एवं बैंक तथा सफल बोलीदाता के बीच अनुबंध निष्पादन के पश्चात ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ई-निविदा आवेदन, जो ईएमडी के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हों, अथवा जिनमें ईएमडी से छूट का दावा स्वीकार्य प्रमाण के बिना किया गया हो, ऐसे आवेदन अप्रासंगिक माने जाएँगे और अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

6. अनुबंध अवधि के दौरान निष्पादन गारंटी : अनुबंध आवंटित किए जाने पर, सफल बोलीदाता को अनुबंध मूल्य के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-V) में निष्पादन गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी स्वीकृति पत्र के साथ, अनुबंध के समुचित निष्पादन हेतु सुरक्षा जमा के रूप में जमा की जाएगी।

सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी, कार्य आवंटन के पश्चात, निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने के अधीन, वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा के रूप में प्रस्तुत निष्पादन गारंटी, पूरी अनुबंध अवधि तथा उसके अतिरिक्त 60 (साठ) दिनों तक वैध रहेगी।

यदि निष्पादन गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन में विफलता माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा तथा आवेदक को इस कारण बैंक को हुई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह अनुबंध आवंटन हेतु एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। अनुबंध अवधि के दौरान सुरक्षा जमा पर एजेंसी/ठेकेदार को कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा जमा/बैंक गारंटी को बैंक द्वारा अनुबंध अवधि की समाप्ति के 60 (साठ) दिनों के पश्चात, तथा अनुबंध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और एजेंसी/ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों से संबंधित कोई देयता शेष न होने के प्रति संतुष्ट होने के उपरांत, मुक्त (रिलीज़) किया जाएगा। यदि एजेंसी/ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सभी देय राशियों एवं दायित्वों का समायोजन किए जाने के पश्चात ही सुरक्षा जमा मुक्त की जाएगी। एजेंसी/ठेकेदार की विफलता के कारण, अथवा अनुबंध की समाप्ति, या परिसमापन/दिवालियापन अथवा संरचना में परिवर्तन के कारण एजेंसी/ठेकेदार के अयोग्य घोषित होने से बैंक को हुई हानियों की पूर्ति हेतु, बैंक को सुरक्षा जमा की आंशिक अथवा पूर्ण राशि वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। उक्त हानियों, क्षतियों, प्रभारों, व्ययों अथवा लागतों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम एवं एजेंसी/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा तथा बैंक के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

7. भाग-II : वित्तीय बोली: -

- I. ई-निविदा की भाग-II (वित्तीय बोली) में केवल सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत दरें ही सम्मिलित होंगी।
- II. उद्धृत दरों में वैधानिक देयताएँ जैसे— न्यूनतम मज़दूरी (केंद्रीय सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा समय-समय पर अधिसूचित), ईएसआई, ईपीएफ अंशदान आदि समाहित होंगी। इस संबंध में समय-समय पर अद्यतन किए गए केंद्र सरकार के सभी प्रासंगिक क़ानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।
- III. वित्तीय बोली में उद्धृत दरें अंतिम होंगी तथा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी बहाने से इनमें वृद्धि नहीं की जाएगी। अनुबंध अवधि के दौरान सेवा शुल्क अथवा दरों में संशोधन के संबंध में ठेकेदार के किसी भी दावे पर बैंक द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- IV. लागू होने पर, सभी वैधानिक कटौतियाँ, एजेंसी/ठेकेदार द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए बिलों से की जाएँगी।

v. वित्तीय बोली में, एजेंसी/ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों को प्रदान की जाने वाली वर्दी, पहचान-पत्र तथा अन्य प्रभारों की लागत भी समाहित होगी।

VI. **बोली की वैधता:**

- a) बोली की दरें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएँगी। इन दरों में कार्य से संबंधित सभी लागतें सम्मिलित होंगी, जिनमें जेब से किए गए/मोबिलाइज़ेशन व्यय, उपकरण, वर्दी, रिलीवर शुल्क, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक व्यय, सभी कर (जीएसटी सहित), प्रभार, उपकर, लेबर सेस, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम व्यय, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी तथा ईपीएफ/ईएसआई अंशदान आदि, नियमों के अनुसार जहाँ लागू हों, सम्मिलित होंगे।
- b) किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने हेतु, मूल्य अनुसूची के अनुरूप दरें सख्ती से उद्धृत की जाएँगी तथा कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा।
- c) निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हों और कोई भी कॉलम रिक्त न रहे। भाग-II (वित्तीय बोली) खोले जाने के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- d) यदि भाग-II (वित्तीय बोली) के किसी भी कॉलम को रिक्त पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ता की निविदा को अप्रासंगिक माना जाएगा तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त की जा सकती है। तथापि, आवश्यकता होने पर, बैंक निविदा शर्तों के अनुसार इस विषय में पुनर्विचार भी कर सकता है।

8. **ई-निविदा खोलना:** -

- भाग-I : तकनीकी बोलियाँ दिनांक 27 फरवरी 2025 को अपराह्न 02:00 बजे, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में खोली जाएँगी। जिन निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं ने पूर्व-योग्यता न्यूनतम पात्रता मानदंडों अथवा इस ई-निविदा की नियमों एवं शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया होगा, उनकी बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी।
- केवल उन निविदाकर्ताओं की भाग-II : वित्तीय बोली, जो पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंडों को पूरा करते होंगे, पश्चातवर्ती तिथि को खोली जाएगी, जिसकी सूचना पात्र निविदाकर्ताओं को पृथक से दी जाएगी।
- भाग-I (तकनीकी बोली) तथा भाग-II (वित्तीय बोली)—दोनों में निविदाकर्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार का विचलन/शर्तें नहीं लगाई जाएँगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

- बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- इस विषय में लिया गया निर्णय पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार में होगा।

9. ई-निविदा की वैधता: ई-निविदा, उसमें उद्धृत दरों सहित, भाग-1 (तकनीकी बोली) खोले जाने की तिथि से प्रारंभ होकर **90 (नब्बे)** दिनों की अवधि तक वैध रहेगी। बैंक एवं निविदाकर्ताओं के बीच लिखित सहमति के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता ई-निविदा को निरस्त या वापस नहीं ले सकेगा, न ही उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन कर सकेगा।

10. प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित होने चाहिए तथा उन्हें एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

11. बैंक, न्यूनतम बोली अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है

12. यदि सफल बोलीदाता, निर्धारित मूल्य के अनुसार सुरक्षा जमा जमा करने अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

13. बैंक, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हस्त-प्रदान/ई-मेल के माध्यम से भेजे गए पत्र द्वारा सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकार किए जाने की सूचना देगा। (जिसे आगे चलकर तथा अनुबंध की शर्तों में "कार्यदिश पत्र" कहा जाएगा)।

14. सफल बोलीदाता को कार्यदिश पत्र जारी किए जाने की तिथि से **14 (चौदह)** दिनों की अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। यदि चयनित एजेंसी अनुबंध आवंटन की तिथि से **14** दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है अथवा निर्धारित तिथि पर कार्य प्रारंभ नहीं करती है, तो कार्य आवंटन संबंधी पत्र को निरस्त माना जाएगा, उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी तथा बोलीदाता जोखिम एवं लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऐसे व्यक्ति/एजेंसी को तीन **(03)** वर्षों की अवधि के लिए बैंक की किसी भी निविदा में भाग लेने अथवा बैंक में कोई भी कार्य करने से वंचित कर सकता है। तथापि, ऐसा करने से पूर्व, बैंक संबंधित व्यक्ति को सात **(07)** दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है तथा एससीएन के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत

किसी भी उत्तर पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विचार करेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

15. सफल बोलीदाता द्वारा सुरक्षा जमा जमा करने/निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा बैंक के साथ अनुबंध निष्पादित किए जाने के पश्चात, बैंक द्वारा सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना किसी ब्याज के, अनुबंध आवंटन के पश्चात वापस कर दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। बैंक के पास जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

16. उपरोक्त धाराओं की आवश्यकताओं का सफल बोलीदाता द्वारा अनुपालन न किया जाना, कार्य आवंटन को निरस्त करने तथा बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी की जल्दी हेतु पर्याप्त आधार माना जा

17. शीर्षकित ई-निविदा के संबंध में सामान्य सूचना तथा शर्तें

- a. इच्छुक बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, कार्यालय का भ्रमण कर सकते हैं तथा स्थल की परिस्थितियों एवं कार्य/सेवाओं के दायरे से भली-भाँति परिचित हो सकते हैं।
- b. ई-निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व, बोलीदाताओं को इस ई-निविदा दस्तावेज़ की समस्त शर्तों एवं नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए, जिनके आधार पर बैंक द्वारा कार्य आवंटित किया जाएगा तथा जिन्हें सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाना होगा। बोलीदाता स्वयं को इसमें निहित पात्रता एवं मूल्यांकन मानदंडों (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के संबंध में संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाए कि यहाँ निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें पूर्ण नहीं हैं तथा ये बैंक को इस बात से प्रतिबंधित नहीं करतीं कि वह सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादन के समय अतिरिक्त अथवा अन्य शर्तें आरोपित करे या उन पर सहमति प्राप्त करे, अथवा इस दस्तावेज़ में निहित शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या विलोपन करे, जैसा कि इस निविदा के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले कार्य के समुचित एवं उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाए।
- c. किसी भी सूचना की कूटरचना/ छिपाने पर, कार्य आवंटन के पश्चात अथवा अनुबंध की अवधि के दौरान भी, बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
- d. साझेदारी फर्म के मामले में, फर्म की ओर से प्रस्तुत की गई ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए अथवा ऐसे भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसे प्रस्तावित अनुबंध में

प्रवेश करने हेतु फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार प्राप्त हों। ऐसा न होने की स्थिति में ई-निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

- e. प्रत्येक बोलीदाता (साझेदारी फर्म/संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के मामले में प्रत्येक सदस्य) अथवा उसका कोई भी सहयोगी, अपनी बोली के साथ यह पुष्टि एवं घोषणा करेगा कि इस अनुबंध के आवंटन एवं निष्पादन से संबंधित किसी भी सेवा, सामग्री अथवा कार्य हेतु किसी एजेंट, बिचौलिए या अन्य मध्यस्थ को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि बाद में बैंक द्वारा इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है, तो बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बोलीदाता को अनुपालन न करने वाला घोषित करे तथा यदि अनुबंध पहले से आवंटित किया जा चुका हो, तो उसे शून्य एवं अमान्य घोषित कर दे।
- f. किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रचार करना, किसी प्रकार का लाभ प्रस्तावित करना अथवा अन्य कोई प्रलोभन देना, इस विषय में लागू प्रासंगिक क़ानूनों के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप, अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त, बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- g. बैंक, बोलीदाता के पूर्व प्रदर्शन के संबंध में उसके ग्राहकों एवं बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक, निविदाओं की भाग-II : वित्तीय बोली खोलने से पूर्व इन रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि कोई बोलीदाता ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, और/अथवा उसके ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट तथा/अथवा उसके बैंकर की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह निविदा खोले जाने के पश्चात भी उसकी पेशकश अस्वीकार कर दे। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- h. निविदाकर्ताओं का कोई हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। जिन निविदाकर्ताओं में नीचे उल्लिखित प्रकार का हितों का टकराव पाया जाएगा, उन्हें ई-निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा:
 - (i) ऐसे निविदाकर्ता, जो दो अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करते हैं और जिनके नियंत्रक शेयरधारक समान हों।
 - (ii) ऐसे निविदाकर्ता (जिसमें उनके कर्मचारी एवं उप-ठेकेदार भी सम्मिलित हैं), जिनका बैंक के ऐसे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध हो, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस अनुबंध में संलग्न हों, उन्हें अनुबंध आवंटित नहीं किया जाएगा।
- i. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपूर्ण निविदा प्रपत्रों को, अथवा ऐसी बोलियों को

अस्वीकार कर दे जिनमें किसी स्थान पर निविदा रिक्त छोड़ी गई हो या जिनमें प्रस्तुत की गई जानकारी गलत अथवा भ्रामक पाई जाए।

- j. बैंक, न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसे यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करे अथवा प्राप्त किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दे।
- k. यदि ई-निविदा दस्तावेज़ में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो बोलीदाता को निविदा अनुसूची में उल्लिखित तिथि से पूर्व बैंक से लिखित रूप में स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा। बैंक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण, जिस पर स्पष्टीकरण माँगा गया हो, उसका विवरण सहित, सभी बोलीदाताओं को अग्रेषित किया जाएगा, तथापि स्पष्टीकरण माँगने वाले बोलीदाता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। बोलीदाताओं एवं बैंक के बीच सभी पत्राचार लिखित रूप में किए जाएँगे। बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट के रूप में स्पष्ट रूप से घोषित किसी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई भी लिखित अथवा मौखिक संप्रेषण, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण, अनुबंध के अंतर्गत बैंक को बाध्य अथवा सीमित करने वाला नहीं माना जाएगा।

मैं/हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वित्तीय बोली में उद्धृत दरें न्यूनतम मज़दूरी, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि जैसी समस्त वैधानिक देयताओं के अनुरूप हैं तथा श्रम क़ानूनों/नियमों/अधिनियमों से संबंधित सभी वैधानिक दायित्वों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। किसी भी वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में विफलता की स्थिति में उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि/सूचना के विरुद्ध मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लेते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त निर्देशों/शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा उनके अनुसार पालन करने के लिए सहमत हैं। उपर्युक्त उल्लिखित इस ई-निविदा से संबंधित सामान्य जानकारी एवं शर्तें, सफल बोलीदाता के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध का अभिन्न अंग मानी जाएँगी।

हस्ताक्षर के साथ अभिकरण की मुहर

तिथि

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कार्य का विस्तृत दायरा

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट

1. **मानव संसाधन की तैनाती:** ठेकेदार को कार्य स्थल पर केवल अनुभवी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव) पर्यवेक्षक/शिकायत प्राप्तकर्ता की तैनाती करनी होगी, जिसके पास सक्रिय मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो, ताकि वह बैंक के अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर सके, कार्य स्थल पर कार्य का पर्यवेक्षण कर सके तथा विभिन्न संपत्तियों में न्यूनतम आवश्यक मानव बल की तैनाती सुनिश्चित कर सके।

2. कार्य के कार्य समय 8 (आठ) घंटे होंगे, जिसमें 30 मिनट का भोजनावकाश सम्मिलित होगा, तथा इस संबंध में लागू वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा। कार्य समय, बैंक एवं सफल बोलीदाता के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा। तथापि, आपात स्थिति में, बैंक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, श्रमिकों को आपात स्थिति समाप्त होने तक कार्य जारी रखना होगा। इसके लिए, फर्म द्वारा उद्धृत दरों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान की जाँच हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करे। विद्युत एवं जल की सुविधा बैंक द्वारा एजेंसी को निकटतम उपलब्ध बिंदु पर निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य सभी व्यवस्थाएँ ठेकेदार द्वारा स्वयं की जाएँगी।

नोट: सेवा प्रदाता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के प्रतिस्थापित किए जाने वाले मर्दों की अधिकतम लागत सीमा निम्नानुसार होगी:

1. लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स के लिए — प्रति फ्लैट प्रति माह ₹ 500/- तक ।
2. मुख्य कार्यालय एवं आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय के लिए — प्रति कार्यालय प्रति माह ₹ 2,000/- तक।

3. कार्य का व्यापक दायरा :

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- a. आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर
- b. आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय
- c. राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स

परिसंपत्तियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है :

क्र	ब्योरा	स्थान	इकाईयाँ	अनुमानित क्षेत्रफल
1	आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर, राँची	1 ^{ली} , मंजिल, जिला परिषद भवन, राँची	1	8000 Sq Ft
2	आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय, राँची	4 ^{थी} मंजिल, आर आर डी ए भवन, कचहरी चौक	1	6000 Sq Ft
3	अधिकारियों के लीज प्लैट	राँची में विभिन्न स्थानों पर	34-40 (आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन संभावित)	1500 Sq Ft

कार्य का सामान्य क्षेत्र निम्नलिखित है:

- a. नागरिक, प्लंबिंग और स्वच्छता संबंधी स्थापनाएं
- b. बढ़ईगीरी
- c. विद्युत स्थापनाएं
- d. टेलीफोन
- e. जल शोधक
- f. वीडियो दरवाज़ा फोन

(a) प्लंबिंग और स्वच्छता:

- (i) मृदा अपशिष्ट लाइनों, गली/नहानी ट्रेप, निरीक्षण कक्ष (Inspection Chambers), बोतल ट्रेप, सिंक, वॉश हैंड बेसिन, यूरिनल तथा वॉटर क्लोसेट में होने वाले **जाम को हटाना**। जाम हटाने एवं पुनः फिटिंग के दौरान यदि **कनेक्टिंग पीस, नल, स्टॉप कॉक, वाल्व** अथवा **आई-प्लग** आदि जैसे किसी अन्य **कास्ट आयरन फिटिंग** की आवश्यकता होती है, तो उन्हें **बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के** प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) **वॉशर का प्रतिस्थापन**, जिसमें बिब टैप, पिलर टैप, स्टॉप कॉक हेतु वॉशर, फ्लशिंग सिस्टरन के लिए रबर गैस्केट तथा लो-लेवल फ्लशिंग टैंकों के लिए प्लंजर वॉशर की लागत सम्मिलित है।
- (iii) **फ्लशिंग प्रणालियों (CI/PVC/अन्य)** की मरम्मत, जिसमें सायफन, बेल, फ्लोट वाल्व को हटाना; कॉटर पिन्, प्लंजर वॉशर, सायफन हेतु नट-बोल्ट, 'S' हुक, बॉल-कॉक हेतु नाकुचा आदि की आपूर्ति/स्थापना; तथा उपयुक्त आकार के नए एक्सेसरीज़ के साथ टैंकों को हटाकर पुनः फिट करना (बैंक द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत दरों पर) और फ्लशिंग टैंक को कार्यशील स्थिति में लाना सम्मिलित है।

- (iv) वॉटर हीटर, गीजर, बॉयलर, कूलर, विद्युत उपकरणों आदि के प्रतिस्थापन/मरम्मत की आवश्यकता होने पर प्लंबिंग कनेक्शन को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करना तथा पुनः कनेक्ट करना।
- (v) विभिन्न ड्रेनेज लाइनों के जोड़ों का सीमेंटिंग, वॉश बेसिन/सिंक एवं दीवारों के बीच की दरारों का भराव; फ़र्श एवं डैडो की टाइलों के जोड़ों की पॉइंटिंग, ढीली टाइलों/फ़र्श/डैडो का सीमेंटिंग; तथा सफेद सीमेंट एवं मेल खाते पिगमेंट के साथ पुनः फिटिंग।
- (vi) ढीले फिक्स्चर एवं फिटिंग्स का पुनःस्थापन, जिनमें वॉश बेसिन, सिंक, फ्लशिंग सिस्टरन, ड्रेन बोर्ड, तौलिया रॉड, दर्पण, काँच की शेल्फ, साबुन होल्डर, नहानी ट्रेप, ग्रेटिंग तथा परिसर/फ्लैट्स में विद्यमान अन्य सभी फिक्स्चर/फिटिंग्स सम्मिलित हैं—मौजूदा फिक्स्चर/फिटिंग्स को बिना क्षति पहुँचाए हटाना। आवश्यकतानुसार सीमेंट मोर्टार में नई लकड़ी की गुट्टी का ग्राउटिंग एवं नए स्कू के साथ पुनःस्थापन; तथा जहाँ आवश्यक हो, हटाना।
- (vii) सभी इंस्टॉलेशनों की नियमित जाँच की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर निवारक अनुरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (viii) परिसर एवं लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स के उचित रख-रखाव हेतु आवश्यक अन्य सभी सिविल कार्य।

b) बढ़ईगीरी:

- (i) स्थल पर आवश्यकता अनुसार आवश्यक स्कू आदि के साथ ढीले हार्डवेयर आइटम्स को हटाना एवं पुनः फिट करना, कार्य पूर्ण रूप से करना।
- (ii) घिसे हुए लकड़ी के बीडिंग, किसी भी लकड़ी के हिस्से, दरवाज़ों एवं खिड़कियों के शटरों के टूटे हुए काँच के पैन, तथा किसी भी क्षतिग्रस्त हार्डवेयर फिटिंग का प्रतिस्थापन। सामग्री की लागत, बैंक द्वारा अनुमोदित बाज़ार दरों के अनुरूप युक्तिसंगत दरों पर देय होगी।

(c) विद्युत कार्य:

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा - (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट

- (i) लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स तथा कार्यालय परिसरों के भीतर विद्युत प्रतिष्ठानों से संबंधित दैनिक

शिकायतों/अनुरक्षण कार्यों का निपटान करना।

- (ii) कार्य में प्यूज़ हो चुकी ट्यूबों/बल्बों, दोषपूर्ण फिक्स्चर/एक्सेसरीज़, वायरिंग/केबलिंग, छत/दीवार/एगज़ॉस्ट फैन, तथा लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स एवं कार्यालय परिसरों में स्थित गीजर का प्रतिस्थापन सम्मिलित है।
 - (iii) लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स एवं कार्यालय परिसरों में सभी प्रकार के नियमित/निवारक अनुरक्षण कार्यों का निष्पादन, जैसे— विद्युत एक्सेसरीज़ एवं स्विचगियर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड (DBs), स्विच बोर्ड, मीटर रूम आदि की जाँच/सफाई, सभी कनेक्शनों का कसाव तथा नियत अंतराल पर सफाई।
 - (iv) बैंक के अभियंताओं द्वारा संकेतित अनुसार, प्रत्येक भवन एवं मीटर रूम में कंडक्टर एवं अर्थ के बीच तथा विभिन्न फेज़ों के बीच इन्सुलेशन रेज़िस्टेंस टेस्ट करना।
 - (v) उपलब्ध सभी अर्थिंग स्टेशनों के लिए अर्थ रेज़िस्टेंस टेस्ट करना तथा नियत अंतराल पर जल भराव (Top-up) सुनिश्चित करना।
 - (vi) मुख्य इनकमिंग केबल पर लोड की स्थिति की जाँच करना तथा बैंक के अभियंताओं से परामर्श कर निवारक अनुरक्षण कार्य करना।
- (d) दूरभाष लाइनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत :** अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में दूरभाष लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित समस्त कार्य सम्मिलित होंगे तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत का दावा नहीं किया जाएगा।
- (e) जल शोधकों की सर्विसिंग:** अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में जल शोधकों के अनुरक्षण/मरम्मत/नियतकालिक सर्विसिंग भी सम्मिलित होगी, जो प्रत्येक 6 (छह) माह के निश्चित अंतराल पर की जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत का दावा नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसी किसी सर्विसिंग के दौरान प्रतिस्थापित किए गए मदों की लागत विक्रेता द्वारा दावा की जा सकेगी।
- (f) वीडियो डोर फ़ोन की सर्विसिंग:** अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बैंक के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स में स्थापित वीडियो डोर फ़ोनों के अनुरक्षण/मरम्मत से संबंधित कार्य भी सम्मिलित होंगे। ऐसी किसी सर्विसिंग के दौरान प्रतिस्थापित किए गए मदों की लागत विक्रेता द्वारा दावा की जा सकेगी।

C) नियम एवं शर्तें: -

1. **अनुबंध की अवधि:** - बैंक एवं उस एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, जिसे कार्य आवंटित किया जाएगा, के मध्य किया गया अनुबंध 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि तक प्रभावी रहेगा। एजेंसी/ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर की गई समीक्षा के अधीन, बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उसी नियमों एवं शर्तों पर, अनुबंध की अवधि को अधिकतम दो वर्षों तक (एक वर्ष की अवधि में) आगे बढ़ा सके। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से तीन (03) स्पष्ट कैलेंडर महीनों का लिखित नोटिस तथा बैंक की ओर से एक (01) स्पष्ट कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर, किसी भी पक्ष को अनुबंध समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। तथापि, नोटिस अवधि के दौरान, जब तक बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए, एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को अपने सभी दायित्वों का निर्वहन जारी रखना होगा।
2. **भुगतान की शर्तें एवं दंडात्मक प्रभारों की वसूली**

भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। वित्तीय बोली में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त, किसी भी अन्य मद के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मियों को उनकी देय मज़दूरी समय पर प्राप्त हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

 - i. बैंक, इस अनुबंध के अंतर्गत देय सभी भुगतानों (पिछले माह के भुगतान) को, संतोषजनक सेवा के पूर्ण होने (सक्षम प्राधिकारी/बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित) तथा बिल सभी दृष्टियों से सही होने की स्थिति में, बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर सामान्यतः कर देगा। भुगतान मुद्रित बिल के विरुद्ध किया जाएगा, जिस पर ठेकेदार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा उचित मुहर लगी होनी चाहिए।
 - ii. बैंक, ठेकेदार को देय राशि से समय-समय पर लागू स्रोत पर कर कटौती (TDS) तथा अन्य सभी वैधानिक कर/प्रभार आदि की कटौती करेगा।
 - iii. इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा तथा भुगतान की पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - iv. यदि भुगतान पश्चात लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा किए गए अथवा कथित रूप से किए गए किसी भी कार्य के संबंध में अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
 - v. प्राप्त किसी भी शिकायत पर, ठेकेदार को शिकायत प्राप्त होने के 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में, प्रति शिकायत प्रति दिन ₹ 500/- की दर से दंड राशि देय बिलों से कटौती की जाएगी।

3. **ग्राहक प्रमाण-पत्र:** - अनुबंध-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को पात्रता हेतु प्रस्तुत किए गए सभी कार्यों के लिए ग्राहक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. **बैंकर प्रमाण-पत्र:** - अनुबंध-III में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को अपने बैंक/बैंकों से जारी बैंकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. **प्री-बोली बैठक:** - प्री-बोली बैठक दिनांक 11 फरवरी 2025 को प्रातः 11:00 बजे से, ऑफलाइन माध्यम से सम्मेलन कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, राँची - 834001 में आयोजित की जाएगी।
6. **न्यूनतम मज़दूरी:** -
 - i) बोलीदाता, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली नवीनतम एवं अद्यतन मज़दूरी अधिसूचनाओं का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - ii) बोलीदाता द्वारा तैनात किए गए ऑपरेटर्स/कर्मियों को देय मज़दूरी आदि का भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। यह दायित्व बोलीदाता पर इसलिए आरोपित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने द्वारा तैनात कर्मचारियों के प्रति, विभिन्न श्रम क़ानूनों के अंतर्गत, मज़दूरी भुगतान, मज़दूरी अवधि, मज़दूरी से कटौतियाँ, अवैतनिक मज़दूरी की वसूली, अनधिकृत कटौतियाँ, मज़दूरी पुस्तकों का संधारण, वेतन पर्ची, मज़दूरी दरों एवं नियोजन शर्तों का प्रकाशन, निरीक्षण तथा आवधिक विवरणियों की प्रस्तुति से संबंधित सभी प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है।
7. **पुलिस सत्यापन:** - एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी यह प्रतिज्ञा प्रस्तुत करेगी कि उसके सभी कर्मचारियों का नियुक्ति से पूर्व पुलिस सत्यापन कराया जा चुका है। एजेंसी को कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर, कार्यालय परिसरों में कार्य हेतु तैनात कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अनुबंध के नवीनीकरण अथवा तैनाती में परिवर्तन के समय भी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. **चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र:** - एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, अनुबंध प्रारंभ होने से पूर्व, तैनात किए जाने वाले ऑपरेटर्स/कर्मियों के चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा नियोजित समस्त कर्मी सभी दृष्टियों से स्वस्थ होंगे तथा इसके समर्थन में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी समय एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा नियोजित किसी भी कर्मी का बैंक के चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकृत चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करा

सके। अनुबंध के नवीनीकरण अथवा तैनाती में परिवर्तन के समय भी चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. **बीमा** : - सफल निविदाकर्ता, अनुबंध मूल्य के लिए "ऑल रिस्क पॉलिसी (तृतीय पक्ष देयता सहित)" तथा कार्य में संलग्न श्रमिकों के लिए "वर्कमेन कम्पेन्सेशन पॉलिसी" प्राप्त करेगा। ठेकेदार, कार्य निष्पादन के दौरान किसी व्यक्ति, भवन अथवा तृतीय पक्ष को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। अनुबंध के अनुसार दायित्वों के निर्वहन के दौरान, ठेकेदार, उसकी संपत्ति अथवा उसके श्रमिकों को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। तृतीय पक्ष/सार्वजनिक देयता के अंतर्गत न्यूनतम बीमा कवरेज ₹ 5 लाख का होगा। यह बीमा अनुबंध अवधि के साहचर्य रहेगा।

10. वैधानिक आवश्यकताएँ :

- i. ठेकेदार, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए सभी करों का वहन स्वयं करेगा।
- ii. ठेकेदार, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूर्णतः एवं एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा, विशेष रूप से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा बैंक को सेवाएँ प्रदान करने हेतु तैनात किए गए ठेका श्रमिकों से संबंधित अन्य सभी लागू अधिनियमों/नियमों के अनुपालन के लिए।
- iii. ठेकेदार के पास ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अथवा अन्य किसी लागू क़ानून के अंतर्गत अपेक्षित वैध लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में, उससे उत्पन्न होने वाली समस्त कार्रवाइयों/कार्यवाहियों के लिए ठेकेदार पूर्णतः एवं एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा। ठेकेदार के किसी भी कृत्य, कमीशन या चूक के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, तथा ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के प्रति बैंक पर किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी।
- iv. ठेकेदार, बैंक में सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी 'नाबालिग' को नियोजित नहीं करेगा।
- v. ठेकेदार यह प्रतिज्ञा करेगा कि वह अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराएगा कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं, तथा उन्हें वेतन/मजदूरी एवं अन्य भत्तों का

भुगतान करना ठेकेदार की ही ज़िम्मेदारी है। ठेकेदार, अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के अनुपालन हेतु अपने कर्मचारियों का उचित पर्यवेक्षण भी करेगा। ठेकेदार के कर्मचारियों का बैंक के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं होगा।

- vi. यदि किसी भी प्रभावी क़ानून के अंतर्गत, ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में चूक अथवा डिफ़ॉल्ट के कारण, बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों को किसी भी राशि का भुगतान करना पड़े, तो बैंक द्वारा भुगतान की गई ऐसी समस्त राशि की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
 - vii. ठेकेदार, सत्यापन/परीक्षण के प्रयोजनार्थ, जब भी आवश्यक हो, अपने लेखा-पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज़, प्रमाण-पत्र आदि बैंक को उपलब्ध कराएगा।
 - viii. ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों/एजेंटों की किसी चूक या लापरवाही के कारण, यदि बैंक को क़ानून के अंतर्गत किसी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़े, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि ठेकेदार से वसूल करे अथवा ठेकेदार को देय बिलों/बैंक द्वारा देय किसी भी राशि से कटौती कर ले।
11. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, अपने द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों के कार्य का व्यक्तिगत एवं पूर्ण पर्यवेक्षण करेगी, ताकि इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बैंक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार संपादित हों।
 12. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी इस बात के लिये सहमत होगी एवं प्रतिज्ञा करेगी कि वह अपने द्वारा तैनात सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराएगी कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं तथा उनका बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। बैंक, अनुबंध के निष्पादन हेतु वेतन/मजदूरी अथवा किसी भी प्रकार का मुआवज़ा देने या श्रम क़ानूनों अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत कोई वैधानिक लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे सभी लाभ/सुविधाएँ, जो प्रासंगिक क़ानून/नियम/सेवा शर्तों के अंतर्गत देय हों, ठेकेदार द्वारा ही अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएँगी और इसके लिए ठेकेदार एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा।
 13. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, बैंक परिसरों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं/मानकों का पालन करेगी।
 14. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के श्रमिक/कर्मचारी वर्ग से संबंधित किसी भी श्रम समस्या की स्थिति में, उसका निस्तारण पूर्णतः एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी बैंक को समुचित रूप से क्षतिपूर्ति करेगी। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्मिकों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं होगा तथा वे अपनी सेवा शर्तों

या अन्य किसी विषय के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के साथ या बैंक के विरुद्ध कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएँगे।

15. यदि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी का कोई भी कार्मिक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान घायल हो जाता है, तो उसे समस्त चिकित्सीय सहायता, वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना पूर्णतः एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी तथा इसके लिए बैंक से कोई भी लागत/शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।
16. यदि किसी क़ानून/मुक़दमे के अंतर्गत, किसी भी क़ानून/ठेका श्रम क़ानून/न्यूनतम मज़दूरी क़ानून अथवा किसी अन्य लागू क़ानून के अंतर्गत दायित्वों के पूर्ण न किए जाने के कारण, अथवा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के ऑपरेटर्स/कार्मिकों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के परिणामस्वरूप बैंक को किसी वाद/कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाता है, तो ऐसे वाद के प्रतिरक्षण (Defence), दावों के निपटान, दंड आदि से संबंधित समस्त व्यय एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
17. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, अनुबंध अवधि के दौरान, बैंक तथा उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं एजेंटों को, किसी भी हानि, क्षति, दावा, अथवा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट, अथवा ठेकेदार या उसके सेवा कार्मिकों द्वारा दुराचार, चूक या लापरवाही के कारण, लागू क़ानूनों, विनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली समस्त देयताओं से पूर्णतः क्षतिपूर्ति, रक्षा एवं सुरक्षित रखेगी। यद्यपि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन में विफलता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के निपटान के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगी, तथापि बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह ऐसे किसी भी देय राशि का प्रत्यक्ष रूप से निपटान कर सके तथा ऐसी राशि को बैंक द्वारा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को देय किसी भी राशि से वसूल/समायोजित कर सके अथवा यदि ऐसी राशि उपलब्ध न हो, तो उसे एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में वसूल किया जा सके।
18. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, जब भी बैंक अथवा प्रविधान के अंतर्गत अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित हो, विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के अंतर्गत संधारित किए जाने वाले सभी प्रपत्र, रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगी।
19. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, उपर्युक्त वैधानिक भुगतानों के किए जाने के प्रमाण स्वरूप आवश्यक होने पर दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। इन प्रावधानों के अनुपालन में विफलता को एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा चूक माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा उसके बिलों का भुगतान रोक दिया जाएगा।

20. बैंक, अपने कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त अथवा किसी भी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा वहन किए गए किसी भी व्यय के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगा।
21. एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, बैंक द्वारा बनाए गए एवं परिसर के संपूर्ण अथवा किसी भाग पर लागू सभी परिचालन नियमों एवं विनियमों, जिनमें सुरक्षा एवं अनुशासनात्मक नियम भी सम्मिलित हैं, का अनुपालन करेगी, जहाँ एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी अथवा उसके कर्मचारी कार्यरत हों। यदि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी का कोई कर्मचारी उक्त नियमों/विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा किसी भी प्रकार से बैंक के लिए आपत्तिजनक पाया जाता है, तो एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी ऐसे कर्मचारी को तत्काल बैंक परिसरों से हटा देगी तथा ऐसे उल्लंघन के कारण हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी और बैंक को क्षतिपूर्ति रखेगी।
22. **उप-ठेका:** - एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, इस अनुबंध अथवा उसके किसी भी भाग को किसी तृतीय व्यक्ति/एजेंसी/ठेकेदार/संस्था को उप-ठेके पर नहीं देगी, न ही उसका अंतरण या हस्तांतरण करेगी। बैंक को ऐसे उप-ठेका देने की स्वीकृति से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
23. यह भी ध्यान में रखा जाए कि यहाँ निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें पूर्ण नहीं हैं तथा ये बैंक को इस बात से प्रतिबंधित नहीं करतीं कि वह सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादन के समय ऐसे अतिरिक्त अथवा अन्य नियम एवं शर्तें आरोपित करे या उन पर सहमति प्राप्त करे, अथवा यहाँ निहित नियम एवं शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या विलोपन करे, जैसा कि इस ई-निविदा के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले कार्य के समुचित एवं उचित निष्पादन हेतु आवश्यक समझा जाए। स्टाम्प पेपर पर अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, जिसमें मूल प्रति बैंक के पास तथा द्वितीय प्रति एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के पास रहेगी।
24. **मध्यस्थता:** - बैंक एवं विक्रेता, इस अनुबंध, उसकी व्याख्या अथवा उसके अंतर्गत किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित, या इस अनुबंध से उत्पन्न अथवा उससे संबंधित किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, प्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक वार्ताओं के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक वार्ता के प्रारंभ से 30 (तीस) दिनों के उपरांत भी भारतीय रिज़र्व बैंक एवं विक्रेता विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में असमर्थ रहते हैं, तो पक्षकार आपसी सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा विवाद के समाधान का प्रयास करेंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल राँची में ही आयोजित की जाएगी। ऐसी कार्यवाही पर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए एवं प्रभावी नियम लागू होंगे।
25. **जोखिम एवं लागत खंड :** किसी अन्य धारा में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई

विफलता होती है, अथवा वह दिवालिया घोषित हो जाता है या परिसमापन की अवस्था में चला जाता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से हुई विफलता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी पर बाध्यकारी होगा। ऐसी समाप्ति 30 (तीस) दिनों के नोटिस पर की जा सकती है। यदि किसी भी कारण से सेवाओं में बाधा/रुकावट आती है, तो एजेंसी बैंक द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में बैंक के अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

26. यदि किसी भी कारण से सेवाओं में रुकावट होती है, तो एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।

27. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह विक्रेता के किसी भी मानवबल (कर्मचारी) के कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा करे। बैंक की राय में यदि कोई मानवबल दुराचार का दोषी, अथवा किसी भी प्रकार से सेवा हेतु अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है, तो ठेकेदार उसे तत्काल हटाएगा तथा उसके स्थान पर तुरंत उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार, इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ अपने नियोजन में किसी व्यक्ति को हुई दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, या किसी अन्य लागू क़ानून/नियम के अंतर्गत किसी भी दावे के संबंध में हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार, अपने कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक एवं अन्य देयों के लिए तथा उनके द्वारा किए गए कृत्यों/चूकों के लिए पूर्णतः एवं एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा।

28. दैवी आपदा खंड :- अनुबंध की अवधि के दौरान यदि किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्पादन युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, नागरिक अशांति, तोड़-फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी अथवा प्राकृतिक आपदा (दैवीय आपदा) के कारण (जिन्हें आगे "घटनाएँ" कहा गया है) बाधित या विलंबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, रियायत चाहने वाला पक्ष, घटना के घटित होने तथा उसके समाप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र, किंतु अधिकतम 21 दिनों के भीतर, संबंधित सक्षम प्राधिकारी/वाणिज्य मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित सूचना दूसरे पक्ष को देगा तथा यह भी संतोषजनक रूप से स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ऐसी किसी घटना के कारण, न तो कोई भी पक्ष अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी होगा और न ही किसी पक्ष को ऐसे निष्पादन न होने अथवा निष्पादन में विलंब के लिए दूसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का कोई दावा होगा। ऐसी घटना के समाप्त होते ही अथवा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने पर, अनुबंध के अंतर्गत सेवाएँ यथाशीघ्र पुनः आरंभ की जाएँगी और सेवाएँ पुनः आरंभ हुई हैं या नहीं, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा। तथापि, यदि ऐसी किसी घटना के कारण अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व का पूर्णतः या आंशिक निष्पादन 60 दिनों से अधिक अवधि तक बाधित या विलंबित रहता है, तो बैंक को अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

29. **एजेसी/ ठेकेदार को भुगतान :** - एजेसी/ठेकेदार को मासिक आधार पर, आवश्यक समर्थन दस्तावेजों सहित, बिल प्रस्तुत करना होगा। बैंक परिसरों में तैनात अपने कर्मचारियों को एजेसी/ठेकेदार द्वारा किया जाने वाला भुगतान अनिवार्य रूप से एनईएफ़टी अथवा किसी अन्य डिजिटल भुगतान माध्यम से संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। नीचे उल्लिखित अनुसार, एजेसी/ठेकेदार को मासिक बिल के साथ एक स्व-घोषणा (तिथि सहित हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद) भी प्रस्तुत करनी होगी:

“मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हम पर लागू सभी वैधानिक अधिनियमों/क़ानूनों के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं तथा यदि किसी क़ानून के अंतर्गत किसी भी दायित्व के पूर्ण न किए जाने के कारण अथवा हमारी एजेसी/एजेसी के किसी भी कार्मिक द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को किसी वाद/मुक़दमे का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे वाद के प्रतिरक्षण, दावों के निपटान, दंड आदि से संबंधित समस्त व्यय हमारे द्वारा वहन किया जाएगा।”

बिल का निपटान, बिल एवं समर्थन दस्तावेजों के विवरणों का सत्यापन करने के पश्चात, आयकर टीडीएस, जीएसटी पर टीडीएस आदि सहित सभी लागू वैधानिक करों की कटौती करने के बाद, यह सुनिश्चित होने पर किया जाएगा कि बिल सभी दृष्टियों से पूर्णतः सही है। चूँकि बैंक एनईएफ़टी प्रणाली का पालन करता है, अतः सफल एजेसी को कार्यदिश प्राप्त होते ही, बैंक को मासिक बिल राशि के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरण (एनईएफ़टी औपचारिकताएँ) प्रस्तुत करनी होंगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि बैंक खाता विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो एजेसी को अपने लेटरहेड पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अद्यतन खाता विवरण बैंक को अग्रेषित करना होगा। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान किए जाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, एजेसी इस अनुबंध की शर्तों में निर्धारित प्रभारों से अधिक किसी भी प्रभार का दावा करने की अधिकारी नहीं होगी। निविदाकर्ता के बिल का भुगतान सामान्यतः बैंक द्वारा बिल प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। तथापि, यदि किसी कारणवश 30 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो इसे तत्काल बैंक के संज्ञान में लाया जाएगा। प्रस्तुत बिल के संबंध में यदि ठेकेदार से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो ठेकेदार को 7 दिनों के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा। यदि बिल के किसी भाग को लेकर बैंक एवं ठेकेदार के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसे भाग को शेष बिल से अलग (Sever) कर दिया जाएगा तथा सहमति एवं स्वीकार्य भाग के विरुद्ध भुगतान कर दिया जाएगा। अलग किए गए भाग से संबंधित विवाद का निस्तारण अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के अनुसार पृथक रूप से किया जाएगा।

30. **गोपनीयता खंड :** - एजेसी/ठेकेदार/फ़र्म/कंपनी, इस अनुबंध से संबंधित अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके कब्ज़े में आने अथवा उसके संज्ञान में आने वाली बैंक के

कार्मिकों/कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों/बैंक के अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी जानकारी, सामग्री अथवा विवरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष को प्रकटीकरण नहीं करेगी तथा ऐसे समस्त विवरणों को सदैव अत्यंत गोपनीय रखेगी। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, अनुबंध के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगी, सिवाय उस सीमा तक जहाँ अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु अथवा लागू क़ानूनों के अनुपालन के लिए उनका प्रकटीकरण आवश्यक हो। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से कार्य से संबंधित किसी भी विवरण का प्रकाशन नहीं करेगी, न ही प्रकाशन की अनुमति देगी और न ही किसी प्रकार का प्रकटीकरण करेगी। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, गोपनीय जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना, एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक को इसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने एवं विधिक उपचार अपनाने का अधिकार होगा। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्य हेतु नियोजित सभी व्यक्तियों को गोपनीयता/अप्रकटीकरण की आवश्यकता से अवगत कराया जाए तथा उसके व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी स्वयं उत्तरदायी होगी। उपर्युक्त अनुबंधों के अंतर्गत एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित अप्रकटीकरण खंड अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगी।

31. कार्य निष्पादन में विफलता की स्थिति में अयोग्य ठहराने का अधिकार : -

एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी यह समझती है कि वह ई-निविदा दस्तावेज़ों में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा बैंक से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होते ही कार्य निष्पादित करने की स्थिति में है। निविदाकर्ता यह भी सहमत है कि सैद्धांतिक (In-principle) स्वीकृति मात्र से कार्य आवंटन की गारंटी नहीं होती, तथा कार्य का अंतिम आवंटन तभी किया जाएगा जब बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी ई-निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है/होगी। यदि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, अनुबंध आवंटित होने के पश्चात कार्य प्रारंभ करने में विफल रहती है, तो बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह सैद्धांतिक स्वीकृति को वापस ले ले तथा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि जब्त कर ले। ऐसी स्थिति में एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी समस्त जोखिम एवं लागत के लिए भी उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, बैंक को यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वह ऐसी डिफ़ॉल्ट करने वाली एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को बैंक की भविष्य की किसी भी ई-निविदा में तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए भाग लेने से वंचित (Debar) कर दे। तथापि, ऐसा करने से पूर्व बैंक, एजेंसी/ठेकेदार को सात (07) दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है तथा ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में एजेंसी/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विचार करेगा।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न : - एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी, महिलाओं का

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करेगी। बैंक परिसरों के भीतर, एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, ऐसी शिकायत एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी तथा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की स्थिति में, ऐसी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि किसी घटना में ठेकेदार के कर्मचारी सम्मिलित पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देय किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति (उदाहरणार्थ, ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा किए गए लैंगिक उत्पीड़न/हिंसा के प्रमाणित होने पर बैंक के कर्मचारी को देय कोई भी मौद्रिक राहत) के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। ठेकेदार, अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं उससे संबंधित विषयों के संबंध में जागरूक करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

33. करार की समाप्ति :-

- a) यहाँ ऊपर निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को अपने एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार से यह अधिकार होगा कि वह 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी प्रकार का मुआवज़ा दिए, इस अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे, यदि—
 - i) बैंक की राय में (जिसे एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा तथा जो एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म पर बाध्यकारी होगा), एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म इस अनुबंध को बैंक की संतुष्टि के अनुसार लागू करने में विफल रहती है या ऐसा करने से इंकार करती है; और/अथवा
 - ii) एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म इस अनुबंध की किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करती है।
- b) उपर्युक्त अनुसार किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को मुआवज़ा, क्षतिपूर्ति या किसी अन्य आधार पर बैंक से किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- c) इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का अनुपालन न किया जाए, अवज्ञा की जाए, उल्लंघन किया जाए अथवा

कार्य निष्पादन असंतोषजनक या अक्षम पाया जाए, तो बैंक को यह पूर्ण एवं स्वतंत्र अधिकार होगा कि वह एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, इस अनुबंध को निरस्त कर दे। ऐसा निरस्तीकरण एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म पर बाध्यकारी होगा तथा नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म किसी भी प्रकार के मुआवज़े/क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं होगी और सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारंटी वापस नहीं की जाएगी।

- d) अनुबंध की समाप्ति अथवा अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म बैंक के परिसरों को रिक्त करेगी तथा बैंक से संबंधित सभी वस्तुएँ/सामग्री/संपत्ति बैंक को सौंप देगी अथवा वापस करेगी।
- e) ठेकेदार, बैंक को 90 दिनों का लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

34. दंड : - कार्य निष्पादन दंड खंड

कार्य निष्पादन दंड के अंतर्गत, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध के अनुसार एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अपने दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, जिस सीमा तक उसे युक्तिसंगत रूप से उचित प्रतीत हो, भुगतान को रोके रखे। यदि उल्लंघन ऐसा हो जिसे सुधारा जा सकता है, तो एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी को कमी/त्रुटि के निराकरण हेतु 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा कमी/त्रुटि को सुधार दिए जाने के पश्चात, बैंक द्वारा रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह सेवा स्तर समझौते (SLA) के अनुसार देय दंड, लागत अथवा दावों, एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी की लापरवाही से बैंक को प्रत्यक्ष रूप से हुई हानि, क्षति, दोषपूर्ण सेवाओं आदि के कारण उत्पन्न राशि को एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के बिलों से कटौती कर ले। यदि एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी उपर्युक्त उल्लंघन/कमी को सुधारने में विफल रहती है, तो बैंक को बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के, एजेंसी के बिलों से ऐसी राशि कटौती करने का विवेकाधिकार होगा। यह अधिकार, इस अनुबंध के अंतर्गत बैंक को उपलब्ध अन्य किसी भी अधिकार के अतिरिक्त होगा।

प्राप्त किसी भी शिकायत पर ठेकेदार द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए; ऐसा न किए जाने की स्थिति में प्रति शिकायत प्रति दिन ₹ 500/- की दर से दंड राशि देय बिलों से काट ली जाएगी।

35. निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त माना जाएगा—

- (i) अनुबंध अवधि की समाप्ति पर अथवा अनुबंध के निरस्तीकरण की स्थिति में।

अथवा

- (ii) सेवाओं की अवधि के दौरान किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर, यदि एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जातीं अथवा सेवाओं हेतु निर्धारित सामान्य मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप नहीं होतीं।

अथवा

- (iii) यदि एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म, निविदा की शर्तों के विरुद्ध, इस अनुबंध या उसके किसी भाग को उप-ठेके पर देने के उद्देश्य से अथवा उससे संबंधित किसी लाभ या हित को किसी तृतीय पक्ष को सौंपती है।

अथवा

- (iv) यदि एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अनुबंध की समाप्ति हेतु दिए गए नोटिस की अवधि के दौरान, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म पूर्ववत् रूप से सेवाएँ प्रदान करती रहेगी। नोटिस अवधि के दौरान सेवाएँ प्रदान न किए जाने की स्थिति में, बैंक को एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा बैंक के पास जमा की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का अधिकार होगा। अनुबंध की किसी भी आधार पर समाप्ति की स्थिति में, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म का यह दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा ले तथा यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति बैंक के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा या समस्या उत्पन्न न करे।

अथवा

- (v) यदि किसी भी कारण से, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म कानून के अंतर्गत इस अनुबंध के दायित्वों के निर्वहन हेतु अयोग्य हो जाती है।

अथवा

- (vi) यदि बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म के स्वामित्व/साझेदारी अथवा प्रबंधन या उसके व्यवसाय में कोई परिवर्तन किया जाता है।

ठेकेदार की मृत्यु, अशक्तता, दिवालियापन अथवा किसी अन्य कारण या परिस्थिति से उत्पन्न आपात स्थिति में, अनुबंध से संबंधित दायित्वों का वहन, बैंक द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों एवं नियमों के अनुसार, निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा—

- i) एकल स्वामित्व की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा।

ii) कंपनी अथवा फर्म की स्थिति में, यथास्थिति अगले निदेशक/भागीदार द्वारा।

ऐसी स्थिति में, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दे तथा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा वह उचित समझे, उसी अनुसार उसका निस्तारण करे।

अनुबंध का निष्पादन: -

- i) एजेंसियों के लिए कार्यों एवं सेवाओं का दायरा, नियम एवं शर्तें तथा पूर्वोक्त विशेष शर्तें, सफल एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी के साथ किए जाने वाले अनुबंध का आधार एवं अभिन्न अंग होंगी।
- ii) बैंक द्वारा ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी उस सूचना में निर्दिष्ट तिथि से अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगी। सफल एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी प्रचलित प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। उक्त अनुबंध पर देय उचित एवं आवश्यक स्टाम्प शुल्क, राँची, झारखंड में प्रवर्तमान स्टाम्प कानूनों के अनुसार, सफल एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा। एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त स्टाम्प शुल्क अदा किए जाने के कारण यदि बैंक पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, दंड अथवा कोई अन्य मौद्रिक दायित्व आता है, तो उसका वहन एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा किया जाएगा तथा बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि सुरक्षा जमा से अथवा एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों से या किसी अन्य विधिसम्मत माध्यम से वसूल कर ले। यदि इस प्रयोजन हेतु सुरक्षा जमा का उपयोग किया जाता है, तो एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी तत्काल उपयोग की गई राशि की पूर्ति करेगी। ऐसा न किया जाना अनुबंध की मौलिक शर्त के उल्लंघन के समान माना जाएगा तथा उसके परिणाम लागू होंगे।
- iii) अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति मात्र, अपने आप में, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाध्यकारी अनुबंध का गठन नहीं करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया जाए अथवा नहीं।
- iv) भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पूर्व-योग्यता के लिए पक्षकारों की क्षमता एवं योग्यता का आकलन करे। बैंक को यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी एक, सभी निविदाओं अथवा उनके किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार कर दे, बिना कोई कारण बताए। बैंक न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

घोषणा:

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी निर्देशों/नियमों एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और यदि उपर्युक्त उल्लिखित वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मुझे/हमें प्रदान किया जाता है, तो ये सभी मुझ पर/हम पर बाध्यकारी रहेंगे।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति (स्वामी/भागीदार):

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य कार्यालय परिसर, (b) भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची में आरक्षित बैंक अधिकारियों के किराए के फ्लैट

तकनीकी-वाणिज्यिक ब्योरा
(ई-निविदा प्रक्रिया के प्रसंग में पठित एवं भरे जाने के लिये)

क्रम	आवश्यकताएँ	निविदाकर्ता की टिप्पणी
1.	कंपनी/एकल स्वामित्व/फर्म का नाम – पंजीकृत कार्यालय का पता एवं दूरभाष संख्या। वह कार्यालय का पता, जिसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कार्य का संचालन किया जाएगा।	
2.	संगठन का प्रकार – (कंपनी/एकल स्वामित्व/फर्म) तथा स्थापना की तिथि।	
3.	संगठन के स्वामी/भागीदारों/निदेशकों के नाम।	
4.	निगमन/संविधान की तिथि	
5.	एजेंसी/ठेकेदार का पंजीकरण संख्या (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए)।	
6.	एमएसएमई उद्यम आधार पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो) (प्रमाण-पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए)।	
7.	अनुबंध-1 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार एजेंसी/ठेकेदार द्वारा सेवित ग्राहकों की सूची, जैसा कि खंड-I, खंड -III के अनुच्छेद 1(ii) में वर्णित है (विधिवत भरा हुआ अनुबंध-1 एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए)।	

8.	भाग-1, अनुभाग-111 के अनुच्छेद 1(iii) में वर्णित अनुसार, अनुबंध-11 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण-पत्रों का विवरण (ग्राहक प्रमाण-पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए)।	
9.	पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के दौरान एजेंसी/ठेकेदार का वार्षिक टर्नओवर (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए)।	
	2021-22 2022-23 2023-24	
10.	अभिकरण, ठेकेदार का पिछले तीन वित्तीय वर्षोंका आयकर विवरणी (MSTC पोर्टल पर आयकर विवरणी अपलोड करें) 2021-22 2022-23 2023-24	
11.	अनुबंध-111 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, एजेंसी/निविदाकर्ता के बैंक द्वारा जारी बैंकर प्रमाण-पत्र का विवरण। (बैंकर प्रमाण-पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	
12.	झारखंड राज्य में एजेंसी/ठेकेदार के पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय का विवरण। (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	
13.	एजेंसी/ठेकेदार का पैन नंबर। (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	
14.	एजेंसी/ठेकेदार का जीएसटी पंजीकरण संख्या। (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	

15.	एजेंसी/ठेकेदार का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पंजीकरण संख्या। (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	
16.	एजेंसी/ठेकेदार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) पंजीकरण संख्या। (दस्तावेज़ी प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)	
17.	एजेंसी/निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि ₹ 18,000/- (रुपये अठारह हजार मात्र) का विवरण— यूटीआर संख्या। लेन-देन की तिथि। आईएफ़एससी कोड सहित बैंक शाखा का नाम।	
18.	एजेंसी/ठेकेदार के लेटरहेड पर उद्योग अंग्रेजी वाक्य (या अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट अनुसार)	
19.	एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी	

बोलीकर्ता की घोषणा:

मैं/हम इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, इसमें अंतर्विष्ट उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और यह प्रतिज्ञा करता/करते हैं कि यदि उपर्युक्त उल्लिखित अनुबंध मुझे/हमें निष्पादित किया जाता है, तो मैं/हम इनका पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करेंगे। मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी अथवा सभी ई-निविदाओं को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

दिनांक: ----- 2025

मेसर्स ----- की ओर से एवं उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम: -----

पदनाम: -----

स्थान: -----

दिनांक: -----

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी पावर ऑफ़ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए।)

साक्षी

1. हस्ताक्षर, नाम, पता एवं दिनांक
2. हस्ताक्षर, नाम, पता एवं दिनांक

परिशिष्ट -I

**पिछले पाँच वर्षों के दौरान विक्रेता को सौंपे गये समान प्रकृति के कार्यों की सूची
(कार्यदेश की प्रति संलग्न करें)**

क्रम	कार्य का नाम एवं स्थान	अवधि	अनुबंध में सम्मिलित कार्य का स्वरूप	संपर्क अधिकारी का विवरण एवं ग्राहक का पूर्ण पता	अनुबंधित राशि	अनुबंध पूर्ण होने की अवधि (निर्धारित/वास्तविक)	क्या कार्य अपूर्ण छोड़ा गया अथवा अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया गया। यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	कार्य पूर्ण होने में विलंब होने के कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
1								
2								
3								

“ग्राहक प्रमाणपत्र का प्रारूप”

एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा (A) RBI मुख्य कार्यालय परिसर, (B) RBI लोकपाल कार्यालय तथा (C) रिजर्व बैंक अधिकारियों के राँची स्थित लीज फ्लैटों में एकीकृत सुविधा प्रदान करने के संबंध में निष्पादन का ग्राहक प्रमाणपत्र

(एजेंसी/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा MSTC पोर्टल पर अन्य दस्तावेजों के साथ अपलोड करने हेतु)

ग्राहक का संपर्क नंबर:

ईमेल आईडी:

विवरण: मेसर्स _____ से प्राप्त सेवाओं का

क्र. विवरण

टिप्पणियाँ

- 1 प्राप्त सेवा का प्रकार
- 2 अनुबंध संख्या एवं दिनांक
- 3 अनुबंध राशि
- 4 फर्म/कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार के साथ कब से संबंध
- 5 आवंटित कर्मियों की संख्या
- 6 अनुबंध की शर्तों का पालन एवं प्रदर्शन संबंधी टिप्पणियाँ
- 7 शर्तों का उल्लंघन करने पर लगाए गए किसी जुर्माने का उल्लेख
- 8 अन्य संबंधित जानकारी

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

तिथि:

स्थान:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर्स सर्टिफिकेट का प्रारूप

(एजेंसी/ठेकेदार द्वारा MSTC पोर्टल पर अन्य दस्तावेजों के साथ अपलोड करने हेतु)

1. एजेंसी / ठेकेदार का नाम:
2. एजेंसी / ठेकेदार की संरचना (साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / एकल स्वामित्व / पब्लिक लिमिटेड):
3. कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार/फर्म के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का नाम:
4. बैंकर का नाम:
5. शाखा का नाम एवं पूर्ण पता:
6. संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर एवं ईमेल आईडी:
7. खाते का प्रकार:
8. खाता संख्या:
9. IFSC कोड:
10. कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार/फर्म का पिछले 3 वर्षों का कारोबार (वर्षवार):
11. कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार/फर्म द्वारा उपभोग की जा रही ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
12. कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार/फर्म द्वारा बैंक के साथ बैंकिंग अवधि:
13. अन्य टिप्पणियाँ:
14. कृपया अपनी राय भी अग्रेषित करें कि उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/ठेकेदार/फर्म को 9 लाख रुपये प्रति वर्ष के अनुबंध के लिए वित्तीय रूप से स्थिर माना जाता है या नहीं।

(हस्ताक्षर)

बैंक की ओर से

स्थान:

दिनांक:

नोट:

- (i) बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
- (ii) साझेदारी फर्म के मामले में, सर्टिफिकेट में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।
- (iii) ई-टेंडर ऑनलाइन सबमिट करते समय MSTC पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाना चाहिए।

क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र/ शपथपत्र
(कम्पनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची - 834001

महोदय,

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर (b) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स

आपकी उपर्युक्त संदर्भित दिनांक की निविदा के प्रत्युत्तर में, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उसमें निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को हमने पूर्ण कर लिया है तथा—

1. हम उक्त निविदा में उल्लिखित कोटेशन प्रस्तुत करने से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।
2. हम यह प्रमाणित करते हैं कि वाणिज्यिक बोली में हमारे द्वारा कोई भी नियम अथवा शर्त आरोपित नहीं की गई है।
3. हम यह आश्वासन देते हैं कि इस निविदा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाएँ/उत्पाद, किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि इस आश्वासन के किसी भी उल्लंघन अथवा कथित उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न अथवा उससे संबंधित किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में हम बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

स्थान:

तिथि:

निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जो जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदा गया है)

स्थान:

तिथि:

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची - 834001

महोदय,

राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ई-निविदा – (a) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर (b) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (c) राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट

जहाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है), ने उपर्युक्त संदर्भित कार्य के लिए (जिसे आगे "अनुबंध" कहा गया है) एम/एस (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी एवं अधिकारधारी भी सम्मिलित होंगे) को अनुबंध प्रदान किया है। तथा जहाँ उक्त ठेकेदार, अनुबंध में निहित नियमों एवं शर्तों के समुचित पालन हेतु, आरबीआई के पक्ष में ₹ (अंकों एवं शब्दों में राशि) की कुल राशि की निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम (बैंक का नाम) (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), एम/एस ठेकेदार के अनुरोध पर, आरबीआई को अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के समुचित पालन हेतु निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्ष्य करती है कि—

हम (बैंक का नाम) एतद् द्वारा आरबीआई तथा उसके उत्तराधिकारियों/अधिकारधारियों के प्रति सहमत होते हैं एवं वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है अथवा उनका उल्लंघन किया है, और आरबीआई का ऐसा निष्कर्ष हम पर तथा उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा, तो हम आरबीआई की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹ (रुपये मात्र) अथवा आरबीआई द्वारा माँगी गई इससे कम कोई भी राशि का भुगतान करेंगे।

2. हमारी यह गारंटी, उक्त अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार के दायित्वों के समुचित निष्पादन हेतु निष्पादन गारंटी राशि के समतुल्य मानी जाएगी, तथापि हमारी देयता ₹ (रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी।

3. हम यह भी सहमत होते हैं एवं पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त अनुसार ₹ (रुपये मात्र) से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति अथवा विरोध के, मात्र आरबीआई की लिखित माँग पर करेंगे, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उक्त राशि देय है, और हम किसी अतिरिक्त प्रमाण अथवा साक्ष्य की माँग नहीं करेंगे। आरबीआई द्वारा दिया गया ऐसा नोटिस हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष दायर किसी वाद या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद, बैंक आरबीआई को माँगी गई राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण एवं निर्विवाद होगी। हम उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

2. हम यह पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व, आरबीआई एवं ठेकेदार के मध्य किसी भी अनुबंध, समझौते अथवा अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

3. यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी। हम आगे यह भी सहमत होते हैं कि—

a) आरबीआई द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में किसी प्रकार की ढील, चूक अथवा किसी शर्त के अनुपालन में किसी प्रकार की रियायत देना, ठेकेदार को समय देना अथवा कोई उदारता दिखाना अथवा उससे संबंधित कोई भी अन्य विषय, किसी भी प्रकार से हमें इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन पर, और उसके असफल रहने की स्थिति में हमारे द्वारा ₹ (रुपये मात्र) से अधिक न होने वाली राशि के भुगतान पर ही समाप्त मानी जाएगी।

b) इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ₹ (रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी।

c) हमारे उक्त ग्राहक/संघटक की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्बलता, अनियमितता, उनके दायित्वों में किसी कमी अथवा उनके संगठन के विघटन या संरचना में परिवर्तन से इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता प्रभावित नहीं होगी।

d) यह गारंटी अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी;

तथापि, यदि आरबीआई द्वारा वांछित हो, तो इसे उसी नियमों एवं शर्तों पर, जैसा कि इसमें निहित है, आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

e) इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि यह गारंटी उपर्युक्त अनुसार नवीनीकृत न की जाए अथवा जिस दिन हमारे उक्त ग्राहक अपने दायित्वों का पालन कर लेते हैं, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक साक्ष्य होगा—इन दोनों में से जो तिथि बाद की होगी। यदि निर्धारित अथवा विस्तारित अवधि के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा, वाद अथवा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएँगे और हम अपने सभी दायित्वों एवं देयताओं से मुक्त माने जाएँगे।

इसके साक्ष्य में, बैंक की ओर से, विधिवत अधिकृत होकर, हमने इस गारंटी पर दिनांक (माह) (वर्ष) को हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित की है।

..... (बैंक का नाम) की ओर से एवं उनके लिए

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से, साक्षियों की उपस्थिति में, हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं सुपुर्द किया गया—

साक्षी 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क देय होगा जहाँ इसका निष्पादन किया गया है तथा इसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार का सत्यापन किया गया हो)।

करार की शर्तें

यह **अनुबंध** राँची में दिनांक दो हज़ार पच्चीस को, भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, **1934** के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा जिसका एक कार्यालय राँची में है, और जिसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची-**834001** द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है (जिसे आगे "नियोक्ता"/"बैंक" कहा गया है), एक पक्ष के रूप में,

और

..... (एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी/एजेंसी), जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है), जो श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, जिन्हें यह अनुबंध करने के लिए अधिकृत किया गया है, दूसरे पक्ष के रूप में, के मध्य संपादित किया गया है।

और जहाँ नियोक्ता का यह अभिप्राय है कि वह राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों—(a) **आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर**, (b) **आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय** तथा (c) **राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स**—के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ठेकेदार को संलग्न करे।

और जहाँ ठेकेदार ने, यहाँ उल्लिखित शर्तों, विशेष शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन, तथा पारस्परिक रूप से सहमत बाद के परिवर्धनों/विलोपनों द्वारा यथा संशोधित या सीमित, जिन्हें प्रारंभ में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया है तथा जो वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) की प्रकृति से स्वाभाविक रूप से उद्भूत हैं (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "उक्त शर्तें" कहा गया है), उक्त कार्यक्षेत्र में वर्णित कार्यों को एएमसी दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमति प्रदान की है, जिनका भुगतान तदनुसार देय होगा (जिसे आगे "उक्त एएमसी अनुबंध राशि" कहा गया है)।

क. अब यह एतद् द्वारा निम्नानुसार सहमति की जाती है—

यह अनुबंध **01 अप्रैल 2025** से प्रभावी होगा तथा **31 मार्च 2026** तक प्रवर्तित रहेगा और ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान किए जाने की स्थिति में तथा दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से, इसे प्रतिवर्ष अधिकतम दो वर्षों तक (एक वर्ष एक बार में) बढ़ाया जा सकेगा, जब

तक कि इसे आगे उल्लिखित शर्तों के अनुसार पूर्व में समाप्त न कर दिया जाए। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त शर्तों/एएमसी अवार्ड पत्र में निर्धारित तरीके से देय एएमसी अनुबंध राशि के प्रतिफलस्वरूप, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन, कार्य-क्षेत्र में वर्णित कार्यों का निष्पादन एवं पूर्णता करेगा।

बैंक, उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समयों पर तथा निर्दिष्ट तरीके से, ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि का भुगतान करेगा।

बैंक, आयकर विभाग एवं जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्थाई दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगा तथा किसी अन्य विधि के अंतर्गत देय अन्य कटौतियाँ भी करेगा। संबंधित विधि में प्रावधानित गैर-कटौती के लिए उपयुक्त प्रमाण-पत्र समय-सीमा के भीतर एवं बैंक द्वारा ऐसी कर अथवा अन्य कटौती किए जाने से पूर्व सूचना के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

उप-महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, राँची—बैंक की ओर से अधिकृत प्राधिकारी होंगे।

4. एएमसी अवार्ड पत्र, यह अनुबंध तथा इसमें उल्लिखित दस्तावेज़, अनुबंध का आधार होंगे।

5. यदि बैंक को ठेकेदार की सेवाएँ संतोषजनक प्रतीत होती हैं तथा बैंक ऐसा चाहे, तो इस अनुबंध को समान नियमों एवं शर्तों पर अधिकतम दो वर्षों तक (एक वर्ष एक बार में) आगे नवीनीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।

6. सहमत प्रभार ₹ (रुपये मात्र) मानवबल, ओवरहेड व्यय तथा ठेकेदार के लाभ सहित होंगे, जो कार्य-क्षेत्र एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाओं के कुशल निष्पादन हेतु प्रयुक्त किए जाएँगे, तथा ठेकेदार द्वारा बिल/चालान प्रस्तुत किए जाने पर मासिक आधार पर देय होंगे। उक्त भुगतान, बैंक के अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के पश्चात कि सेवाएँ संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, वैधानिक कटौतियों के अधीन किया जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रभार दृढ़ (फर्म) होंगे और किसी भी श्रम शर्त या किसी अन्य शर्त के कारण परिवर्तनीय नहीं होंगे।

8. उपर्युक्त प्रभारों में जीएसटी तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लागू या भविष्य में लगाए जाने वाले किसी भी अन्य कर, शुल्क अथवा अधिभार सम्मिलित होंगे।

9. ठेकेदार, कार्य-क्षेत्र तथा अनुबंध की नियमों एवं शर्तों के अनुसार, नियमित आधार पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

A. ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. उक्त शर्तें तथा इनके साथ संलग्न पत्राचार को इस अनुबंध का अभिन्न अंग माना जाएगा तथा उनका उसी रूप में पठन एवं व्याख्या की जाएगी। इस अनुबंध के पक्षकार, अपने-अपने स्तर पर, उक्त शर्तों एवं पत्राचार का पालन करेंगे, उनके अधीन स्वयं को प्रस्तुत करेंगे तथा उनमें निहित शर्तों एवं पत्राचार के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन करेंगे।
2. यह अनुबंध एक निश्चित एकमुश्त (लम्प सम) अनुबंध है, जिसके अंतर्गत खंड-IV में विस्तृत कार्य-क्षेत्र के अनुसार, निविदा की वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर कार्य किया जाएगा।

टिप्पणी: सेवा प्रदाता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के प्रतिस्थापित किए जाने वाले मदों की अधिकतम लागत सीमा निम्नानुसार होगी—

- a) लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स के लिए— प्रति फ्लैट प्रति माह ₹ 500/- तक ।
 - b) मुख्य कार्यालय एवं आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय के लिए— प्रति कार्यालय प्रति माह ₹ 2,000/- तक ।
3. ठेकेदार द्वारा बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, ओम्बड्समैन कार्यालय तथा अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स में तैनात किए गए सभी कार्मिकों की **पूर्ण एवं अद्यतन सूची** उपलब्ध कराई जाएगी।
 4. अनुबंध प्रदान किए जाने की तिथि से 10 दिनों के भीतर, ठेकेदार को बैंक परिसर में ड्यूटी पर लगाने से पूर्व, अपने सभी कार्मिकों के **नाम, आयु तथा स्थायी पते** का विवरण, पासपोर्ट

आकार के फोटो सहित, प्रस्तुत करना होगा।

5. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति तैनात किए जाएँ, जो शारीरिक रूप से सक्षम हों (अर्थात् श्रमिकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो) तथा वे किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हों, जिससे कार्य के कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो।
6. ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए सभी श्रमिक/कर्मचारी, ठेकेदार के ही कर्मचारी माने जाएँगे तथा ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी भी प्रकार की कोई देयता नहीं होगी।
7. इस अनुबंध के अंतर्गत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी तथा अन्य विधिक देयों का भुगतान करने की **पूर्ण जिम्मेदारी एवं दायित्व** ठेकेदार का होगा।
8. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान समय पर, चेक के माध्यम से अथवा उनके बैंक खातों में जमा कर के किया जाए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार प्रत्येक माह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि विभिन्न श्रम क़ानूनों तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सभी दायित्वों का अनुपालन किया गया है। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से वेतन/मजदूरी भुगतान के विवरणों के सत्यापन हेतु बैंक स्टेटमेंट की माँग करे तथा श्रम क़ानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज़ भी माँग सके।
9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के अंतर्गत बैंक के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियोजित सभी व्यक्तियों का बीमा, आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी से कराया गया हो, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य अनुबंध के निष्पादन हेतु बैंक में तैनाती के कारण किसी भी व्यक्ति, पशु अथवा अन्य किसी वस्तु को हुई चोट अथवा क्षति के लिए ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी, बैंक परिसर में रहते हुए अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय, बैंक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शालीनता, सुरक्षा, सदाचार एवं सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें। इन मानकों के पालन या उल्लंघन के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम

होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के **आचरण एवं व्यवहार** के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक द्वारा किसी भी शिकायत की स्थिति में, ऐसे कर्मचारियों को बैंक परिसर में कार्यरत नहीं रखेगा।

11. ठेकेदार, अपने सभी कर्मचारियों के कार्य की **व्यक्तिगत एवं पूर्ण रूप से निगरानी** करेगा, ताकि इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बैंक की **पूर्ण संतुष्टि** के अनुरूप संपादित हों।
12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कोई भी कर्मचारी, बैंक की **पूर्व स्वीकृति** के बिना तथा ठेकेदार के दायित्वों की पूर्ति हेतु आवश्यक होने के अतिरिक्त, निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि तक बैंक परिसर में **प्रवेश न करें अथवा ठहरे न रहें**।
13. ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के किसी भी कृत्य, चूक, त्रुटि अथवा लापरवाही के कारण बैंक, उसके परिसरों अथवा उनके किसी भी भाग, वहाँ स्थापित किसी भी फिटिंग, उपकरण अथवा बैंक की किसी भी संपत्ति को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
14. अनुबंध के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, ठेकेदार द्वारा किसी भी नियम/विनियम के उल्लंघन के कारण यदि बैंक पर कोई **दंड अधिरोपित** किया जाता है, तो उसकी पूर्ति/क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा बैंक को की जाएगी।
15. ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूरित रखेगा—
 - a) कार्य के निष्पादन के दौरान अथवा उसके कारण किसी तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति को हुई हानि/क्षति से उत्पन्न कोई भी दावा।
 - b) कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को हुई हानि/क्षति से उत्पन्न कोई भी दावा।
16. ठेकेदार, बैंक परिसर में उक्त कार्य करने वाले अपने सभी कर्मचारियों अथवा अभिकर्ताओं को **पहचान-पत्र** उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक परिसर में कार्य करते समय सभी कर्मचारी एवं अभिकर्ता **सदैव पहचान-पत्र धारण किए रहें**।
17. ठेकेदार यह सहमति देता है एवं यह दायित्व लेता है कि वह इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु अपने द्वारा नियोजित/संलग्न सभी व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराएगा कि वे

ठेकेदार के कर्मचारी हैं तथा नियोक्ता अर्थात् बैंक के विरुद्ध उनका कोई दावा नहीं होगा, और बैंक वेतन, पारिश्रमिक अथवा किसी अन्य प्रकार का मुआवज़ा देने अथवा श्रम क़ानून अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई वैधानिक लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संबंधित क़ानून/अधिनियम/नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को देय सभी सुविधाएँ प्रदान करने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

18. ठेकेदार, उत्तम गुणवत्ता की सामग्री/ब्रांड का उपयोग करने के लिए सहमत होगा। बैंक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई सामग्री की आवधिक गुणवत्ता जाँच/ऑडिट कराए।
19. प्राप्त किसी भी शिकायत का निस्तारण ठेकेदार द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रति शिकायत प्रति दिन ₹ 500/- की दर से दंड देय बिलों से काट लिया जाएगा।
20. ठेकेदार, बैंक द्वारा कार्य को अपने अधिग्रहण में लिए जाने तक, अपने श्रमिकों, सामग्री तथा पूर्ण किए गए कार्य की सुरक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था स्वयं करेगा।
21. ठेकेदार, इस अनुबंध के अंतर्गत सम्मिलित सेवाओं के संबंध में, झारखंड राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के लागू क़ानूनों के अनुसार, यदि कोई लाइसेंस आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करेगा।
22. ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को वर्दी तथा सुरक्षा उपकरण/सुरक्षात्मक जूते आदि उपलब्ध कराए जाएँगे।
23. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक परिसर में तैनात श्रमिकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित किया गया हो, ताकि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान बैंक के कार्यालय परिसरों एवं लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स में किसी भी संदिग्ध वस्तु/गतिविधि के दृष्टिगोचर होने पर तत्काल बैंक के सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें।
24. ठेकेदार यह संज्ञान में रखेगा कि बैंक परिसरों में धूम्रपान, मद्यपान तथा पान/तंबाकू का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है तथा यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक परिसर में तैनात सभी कर्मचारी इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
25. ठेकेदार, बैंक परिसरों एवं आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित सभी

प्रक्रियाओं/मानकों का पालन करेगा।

26. अनुबंध की समाप्ति/अवधि समाप्त होने पर, ठेकेदार अपने द्वारा बैंक परिसरों में तैनात सभी श्रमिकों को तत्काल हटा लेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक परिसरों में किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या उत्पन्न न करें।
27. ठेकेदार एवं उसका स्टाफ, सहायक महाप्रबंधक (एस्टेट) अथवा बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा तथा परिसर में दैनिक कार्यों के लिए उनसे आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगा।
28. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के कार्यालय परिसरों में तैनात सभी कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, तैनाती की तिथि से 30 दिनों के भीतर, प्रस्तुत की जाए।

B. अनुबंध की समाप्ति

1. उपर्युक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी प्रकार का प्रतिकर दिए, लिखित सूचना द्वारा इस अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे, यदि—
 - a) बैंक की राय में (जो ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत नहीं की जाएगी तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी), ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस अनुबंध को लागू करने में असफल रहता है अथवा ऐसा करने से इंकार करता है; और/अथवा
 - b) ठेकेदार इस अनुबंध की किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करता है; और/अथवा
 - c) किसी भी कारणवश, ठेकेदार क़ानून के अंतर्गत इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु अयोग्य हो जाता है; और/अथवा
 - d) बैंक को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना, ठेकेदार अथवा उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी अथवा प्रबंधन में कोई परिवर्तन किया जाता है।
2. किसी भी कारणवश इस अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों या उसके अभिकर्ताओं को बैंक से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, हर्जाना या

अन्य किसी मद में कोई भी राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. इस अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का अनुपालन न किया जाए, अवज्ञा की जाए, अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाए, या ठेकेदार का कार्य निष्पादन असंतोषजनक अथवा अकुशल पाया जाए, तो नियोक्ता को यह पूर्ण एवं स्वतंत्र अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को एक माह की लिखित सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए, इस अनुबंध को निरस्त कर दे। ऐसा निरस्तीकरण ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/हर्जाना देय नहीं होगा तथा सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. अनुबंध की समाप्ति अथवा अनुबंध अवधि की समाप्ति पर, ठेकेदार बैंक के परिसरों को रिक्त करेगा तथा बैंक से संबंधित सभी वस्तुएँ/सामग्री/संपत्ति बैंक को सुपुर्द अथवा वापस करेगा।

C. **स्टॉम्प शुल्क** : ठेकेदार, इस अनुबंध की मूल प्रति पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन करेगा। यह अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, जिसमें मूल प्रति बैंक के पास रहेगी तथा प्रति ठेकेदार के पास रहेगी।

D. ठेकेदार, अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को समय-समय पर संबंधित क़ानूनों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

E. ठेकेदार, मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अथवा इस संबंध में प्रवर्तित किसी अन्य श्रम क़ानून/विधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण उत्पन्न सभी हानियों, दावों, क्षतियों अथवा क्षतिपूर्ति के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति रखेगा। इस संबंध में उत्पन्न किसी भी देयता के लिए ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

F. ठेकेदार, इस अनुबंध के सभी भागों को सावधानीपूर्वक पढ़ेगा तथा उन्हें पूर्णतः समझेगा।

G. **गोपनीयता मानदंड**: ठेकेदार, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान, बैंक के कार्मिकों/अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित कोई भी सूचना, सामग्री अथवा विवरण, जो उसके या उसके कर्मचारियों के संज्ञान या आधिपत्य में आए, किसी भी तृतीय पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा तथा अनुबंध की अवधि के दौरान और इसके समाप्ति/निरस्तीकरण के पश्चात भी, उन्हें कठोरतम गोपनीयता

में रखेगा। ठेकेदार, अनुबंध के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन या लागू क़ानूनों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, ठेकेदार कार्य से संबंधित किसी भी विवरण को किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्र में या अन्यत्र प्रकाशित, प्रकाशित कराने अथवा प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय सूचना के ऐसे प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न किया जाना ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक को क्षतिपूर्ति का दावा करने एवं विधिक उपाय अपनाने का अधिकार होगा।

- H. ठेकेदार, अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि इस अनुबंध के अंतर्गत गोपनीय सूचना के अप्रकटीकरण से संबंधित दायित्वों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो। गोपनीयता एवं अप्रकटीकरण से संबंधित ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के पश्चात भी प्रवर्तित रहेंगे।
- I. इस अनुबंध की नियमों एवं शर्तों को अप्रभावित रखते हुए, बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, ठेकेदार को इस आशय का पत्र जारी कर, कार्य के विनिर्देशों एवं स्वरूप में परिवर्तन करे तथा किसी भी कार्य मद या कार्य के किसी भाग को जोड़ने अथवा हटाने का निर्णय ले।
- J. इस अनुबंध के अंतर्गत बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल राँची में किए जाएँगे। इस अनुबंध से उत्पन्न अथवा इससे किसी भी प्रकार से संबंधित सभी विवाद राँची में उत्पन्न माने जाएँगे तथा उनके निस्तारण का अधिकार केवल राँची स्थित न्यायालयों को होगा।
- K. उक्त शर्तों में निर्धारित समय एवं तरीके से देय अनुबंध राशि के प्रतिफलस्वरूप, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन, निर्दिष्ट विनिर्देशों एवं मात्राओं की अनुसूची के अनुसार दर्शाए गए कार्य का निष्पादन एवं पूर्ण करेगा।
- L. बैंक, उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय एवं तरीके से, ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि अथवा ऐसी कोई अन्य राशि, जो देय हो, का भुगतान करेगा।
- M. उक्त शर्तों को इस अनुबंध का अभिन्न अंग मानते हुए उनका पठन एवं व्याख्या की जाएगी तथा इस अनुबंध के पक्षकार, अपने-अपने स्तर पर, उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके अधीन स्वयं को प्रस्तुत करेंगे तथा उनमें निहित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- N. समय को इस अनुबंध का मौलिक तत्व माना जाएगा तथा ठेकेदार एतद् द्वारा सहमत होता है कि वह औपचारिक कार्यदिश जारी किए जाने के पश्चात, 01 अप्रैल 2025 से

कार्य/अनुबंध प्रारंभ करेगा तथा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करेगा।

O. ठेकेदार, बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

P. ठेकेदार द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई उद्धृत दरें दृढ़ एवं अंतिम होंगी।

Q. **कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न:** ठेकेदार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा। बैंक परिसरों के भीतर, ठेकेदार के किसी कर्मचारी/कर्मचारियों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, ऐसी शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी तथा ठेकेदार उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की स्थिति में, ऐसी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

यदि किसी घटना में ठेकेदार के कर्मचारी सम्मिलित पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देय किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति (उदाहरणार्थ, ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा किए गए लैंगिक उत्पीड़न/हिंसा के प्रमाणित होने पर बैंक के कर्मचारी को देय कोई भी मौद्रिक राहत) के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार, अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं उससे संबंधित विषयों के संबंध में जागरूक करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार, बैंक परिसरों में तैनात अपने सभी कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

श्री, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची-834001 द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया।

(हस्ताक्षर एवं दिनांक)

की उपस्थिति में—

1. नाम एवं पता
हस्ताक्षर
2. नाम एवं पता
हस्ताक्षर

भाग- II वित्तीय बोली

(केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा प्रक्रिया के उद्देश्य से पढ़े जाने हेतु तथा पीडीएफ़ अपलोड करने के लिए नहीं)

उद्धृत दरों में, राँची स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों—(A) आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर, (B) आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय तथा (C) राँची स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स—के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने हेतु, निविदा की सामान्य नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एवं मानवबल सम्मिलित हैं।

क्र.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर (प्रति माह) (जीएसटी सहित)
A.	B.	C.	D.	E.
1.	आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर, राँची का एकीकृत सुविधा प्रबंधन	1	एकमुश्त	
2.	आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय, राँची का एकीकृत सुविधा प्रबंधन	1	एकमुश्त	
3.	राँची में किराए पर लिए गए आवास	1	एकमुश्त	
	कुल (1+2+3)			

टिप्पणी—

1. उपर्युक्त दरों में सभी लागू प्रभार, शुल्क, कर एवं देयताएँ सम्मिलित मानी जाएँगी।
2. उपर्युक्त दरों में श्रम प्रभार, सेवा प्रभार, ठेकेदार का लाभ आदि भी सम्मिलित माने जाएँगे।
3. बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राँची शहर में स्थित लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स की संख्या की, यदि कोई हो, समीक्षा (वृद्धि/कमी) करे, और ऐसी स्थिति में वही दर एवं लागत लागू रहेगी।
4. सेवा प्रदाता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के प्रतिस्थापित किए जाने वाले मर्दों की अधिकतम लागत सीमा निम्नानुसार होगी—

(क) लीज़ पर लिए गए फ्लैट्स के लिए— प्रति फ्लैट प्रति माह ₹ 500/- तक।

(ख) मुख्य कार्यालय एवं आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय के लिए— प्रति कार्यालय प्रति माह ₹ 2,000/- तक।

फर्म के हस्ताक्षर (तिथि एवं मुहर सहित)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

दिनांक: